9

वेतन पुनरीक्षण / संशोधन / उच्चीकरण / वेतन विसंगतियां

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान रु0 4500–7000 के स्थान पर रु0 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति	सं0 695 / वि0अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–11 फरवरी, 2003	431–432
2	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वैयक्तिक प्रोन्नति योजना / कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उपाचार्यों को अनुमन्य वेतनमानों में विसंगति के सम्बन्ध में	सं0 866 / वि0अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–23 अप्रैल, 2003	433–436
3	वेतन विसंगतियों हेतु समिति का गठन	सं0 001 / वि0अनु0–3 / 2005, देहरादून, दिनांक–03 जनवरी, 2005	437–438
4	वेतन विसंगतियों हेतु समिति का गठन	सं0 47 / वि0अनु0–3 / 2005, देहरादून, दिनांक–28 जनवरी, 2005	439–440
5	पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	सं0 367 / XXVII(3) / वे0नि0 / 2005, देहरादून, दिनांक–23 अगस्त, 2005	441–442
6	विभागों में लेखा / लेखा परीक्षा संवर्गों को उच्चीकृत वेतनमान दिया जाना	सं0 419 / XXVII(3) / 2005, देहरादून, दिनांक–13 सितम्बर, 2005	443–444
7	वेतन विसंगतियों हेतु समिति का गठन	सं0 57 / XXVII(7) / 2005, देहरादून, दिनांक–07 दिसम्बर, 2005	445–446
8	मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम सहायक के पद के उच्चीकरण के सम्बन्ध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का क्रियान्वयन	सं0 76 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–03 जून, 2006	447–448
9	राजकीय कार्यालयों में दि0 1–1–86 से पूर्व रु0 470–735 के वेतनमान के पदों के वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	सं0 109 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–29 जून, 2006	449–450
10	स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना	सं0 110 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–29 जून, 2006	451–454
11	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ाँचे का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में	सं0 108 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–03 जुलाई, 2006	455–458
12	शासनादेश संख्या 109 / XXVII(2) / 2006, दिनांक 29 जून, 2006 का स्पष्टीकरण	सं0 145 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–05 सितम्बर, 2006	459–460

13	दिनांक 01–01–1986 से पूर्व रु0 470–735 के वेतनमान संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 एवं 05 सितम्बर, 2006 का स्पष्टीकरण	सं0 270/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–15 नवम्बर, 2006	461–464
14	वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक पदनाम प्रशासनिक अधिकारी–2 कर वेतनमान रु0 5000–150–8000 में उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्या 76/XXVII(7)/2006, दिनांक 03 जून, 2006 में संशोधन	सं0 277/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–24 नवम्बर, 2006	465–466
15	वेतन विसंगतियों हेतु समिति का गठन	सं0 144/XXVII(7)/2007, देहरादून, दिनांक–05 जुलाई, 2007	467–468
16	1–1–86 से पूर्व नियुक्त आशुलिपिकों को व्यक्तिगत वेतनमान की सुविधा	सं0 323/XXVII(7)/2007, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2007	469–470
17	प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन	सं0 262/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक–25 अगस्त, 2008	471–474
18	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति	सं0 395/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक–17 अक्टूबर, 2008	475–506
19	वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायक प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण	सं0 25/XXVII(7)/द्वि0प्रति0/2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	507–510
20	राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के स्पष्टीकरण	सं0 27/XXVII(7)(स्प0–1)/2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	511–514
21	दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में	सं0 41/XXVII(7) सी0भर्ती/2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	515–518
22	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण	सं0 74/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक–01 मार्च, 2009	519–524

23	उत्तराखण्ड सचिवालय तथा इससे समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव / समकक्ष संवर्ग पदों के वेतनमानों का उच्चीकरण	सं0 77 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक– 01 मार्च, 2009	525–528
24	संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन का तात्पर्य	सं0 93 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–24 मार्च, 2009	529–530
25	वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे आदि की स्वीकृति	सं0 169 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–19 जून, 2009	531–556
26	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति	सं0 256 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–26 अगस्त, 2009	557–558
27	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2009 के प्रस्तर–2 का स्पष्टीकरण	सं0 271 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–07 सितम्बर, 2009	559–560
28	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के द्वारा अपने तृतीय प्रतिवेदन में प्रदेश के स्वायत्तशासी संगठन जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित है कि वेतनमान पुनरीक्षण की कार्यवाही	सं0 261 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–27 अगस्त, 2009	561–562
29	राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही	सं0 260 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–27 अगस्त, 2009	563–566
30	राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही	सं0 262 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–27 अगस्त, 2009	567–570
31	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेतन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति	सं0 395 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक–17 अक्टूबर, 2008	571–602
32	उत्तराखण्ड सचिवालय / सचिवालय में समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के विभिन्न पदों पर अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों की व्यवस्था के पुनरीक्षण के संबंध में	सं0 397 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	603–604

33	वेतन समिति, (2008) के छठवें प्रतिवेतन की संस्तुतियों के आधार पर सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग प्रभाग में कार्यरत सहायक लेखा परीक्षा / ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक के प्रतिमाह अनुमन्य नियत प्रासंगिक व्यय की दरों में संशोधन के संबंध में	सं0 396 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	605–606
34	उत्तराखण्ड राज्य के सचिवालय प्रशासन, कोषागारों एवं अन्य विभागों में गठित लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन	सं0 398 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	607–608
35	वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना	सं0 283 / XXVII(7) / 2010, देहरादून, दिनांक–07 जनवरी, 2010	609–610
36	विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन	सं0 443 / XXVII(7) / 2010, देहरादून, दिनांक–09 फरवरी, 2010	611–614
37	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्य प्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287 / XXVII(7) का0प्रभा0 / 2009, दिनांक 12 नवम्बर, 2009 का स्पष्टीकरण	सं0 511 / XXVII(7) / 2010, देहरादून, दिनांक–09 अप्रैल, 2010	615–620

पत्रांक–695/वि0अनु0–3/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांक 11 फरवरी, 2003**

विषयः– वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान रू0 4500–7000 के स्थान पर रू0 5000–8000 का वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः प.म.नि. –356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा अवर अभियन्ताओं को रू. 4500–7000 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया था। वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के तकनीकी सेवा सम्बर्ग में सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं चिकित्सा विभाग के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के अनुरूप अवर अभियंताओं के वेतनमान 1 अप्रैल, 2001 से रू0 4500–125–7000 से रू0 5000–150–8000 के वेतनमान में पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी पद धारक को पूर्व में रू. 5500–9000 का वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका है ऐसे पद धारकों का वेतन दिनांक 1.4.2001 से वेतनमान रू. 5000–8000 में उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके द्वारा पूर्व आहरित वेतन में निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य करते हुए उसका पूर्व वेतन आहरित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में कर दिया जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से शासकीय विभाग के अवर अभियन्ताओं पर ही लागू रहेगी। दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2002 तक के अवषेश (एरियर) की धनराशि सम्बन्धित कर्मी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और दिनांक 1 जनवरी, 2003 से देय धनराशि का ही नगद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 695/वि0अनु0–3/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. गोपन विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

के0सी0मिश्र
अपर सचिव।

संख्या– 866 /वित्त अनु.–3/2003

प्रेषक ,

इन्दु कुमार पाण्डे ,
प्रमुख सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
कुमायूं विश्वविद्यालय
नैनीताल ।

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढवाल) ।

वित्त अनुभाग –3 देहरादून : दिनॉक, 23, अप्रैल , 2003 ।

विषय :– प्रदेश के विश्वविद्यालयों में व्यैक्तिक प्रोन्नति योजना/कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अर्न्तगत उपाचार्यो को अनुमन्य वेतनमानों में विसंगति के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं उपाचार्यो को व्यैक्तिक प्रोन्नति दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या–501(1)/15–(15)46(52)82 दिनॉक 25–2–1984 के द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रवक्ता , उपाचार्य के वेतनमान में स्टैगनेशन को दूर करने के लिये व्यैक्तिक प्रोन्नति योजना लागू की गई थी , जिसमें पी0एच0डी0 उपाधि धारक प्रवक्ताओं को 13 वर्ष में तथा पी0एच0डी0 की योग्यता न रखने वाले प्रवक्ताओं को 16 वर्ष में नियमित एवं निरन्तर सेवा के उपरान्त रु0 1200–1900 वेतनमान तथा उपाचार्य के पद पर व्यैक्तिक प्रौन्नति की व्यवस्था की गई थी ।

2– विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान का पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या –5714/15–11–87–14(5)/87 दिनॉक 10–9–87 के द्वारा दिनॉक 1–1–1986 से कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम लागू की गई थी जिसके अर्न्तगत प्रवक्ताओं को 8 वर्ष की अवधि के बाद वरिष्ठ प्रवक्ता वेतनमान रु0 3000–5000 तथा 12 वर्ष में सलेक्शनग्रेड प्रवक्ता वेतनमान रु0 3700–5700 रखा गया था । इस योजना के अर्न्तगत उपाचार्य(रीडर)के पद पर प्रोन्नति/प्रोन्नत वेतनमान का प्राविधान नहीं था और उपाचार्य का पद सीधी भर्ती से भरा जाता था जिसका वेतनमान रु0 3700–5700 निर्धारित किया गया था । दिनॉक 1–1–1986 से पूर्व नियुक्त प्रवक्ताओं के लिये इस योजना के अर्न्तगत भी उपाचार्य के पद पर विकल्प देने पर प्रोन्नति का प्राविधान था जिस पद का का वेतनमान रु0 3000–5000 रखा गया था । इस प्रकार दिनॉक 10–9–1987 के

क्रमशः–2–

शासनादेश के अनुसार विकल्प देने वाले प्रवक्ताओं को उपाचार्य के पद पर प्रोन्नत वेतनमान रु0 3000–5000 दिया गया था ।

3– विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या–91–जी.आई.!15–10–11т88–14–(5)–87 दिनॉक 7–1–89 के द्वारा कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में संशोधन करते हुए कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अर्न्तगत उपाचार्य का पद नाम भी दिया गया था जिसका वेतनमान रु0 3700–5700 रखा गया । इस शासनादेश में 17 जून, 1987 से पूर्व नियुक्त प्रोन्नत उपाचार्यो को वेतनमान रु0 3700–5700 दिया गया जब कि इस तिथि के बाद प्रोन्नत उपाचार्यो को वेतनमान रु0 3000–5000 दिया गया ।

4– इस प्रकार दिनॉक 10–9–87 के शासनादेश के अनुसार जिन प्रवक्ताओं ने उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विकल्प दिया और जो 17 जून 1987 से पूर्व प्रोन्नत हुए उन्हें रु0 3700–5700 वेतनमान अनुमन्य हुआ जब कि 17जून 1987 के बाद प्रोन्नत होने वाले उपाचार्यो को रु0 3000–5000 का वेतनमान दिया गया जब कि दिनॉक 7–1–1989 के ही शासनादेश द्वारा कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अर्न्तगत प्रवक्ताओं को उपाचार्य पदनाम देकर रु0 3700–5700 का वेतनमान दे दिया गया । इस प्रकार एक ही पद पर विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अर्न्तगत आने वाले उपाचार्यो के वेतनमान अन्य उपाचार्यो से कम होने के कारण वेतन विसंगति उत्पन्न हुई जब कि सभी उपाचार्यो की अर्हतायें आदि एक समान हैं ।

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा व्यैक्तिक प्रोन्नति योजना के अर्न्तगत दिनॉक 17–6–1987 के उपरान्त प्रोन्नत उपाचार्यो को भी अनुमन्यता / अर्हता की तिथि से वेतनमान रु0 3700–5700 तथा दिनॉक 1–1–1996 से वेतनमान रु0 12000–18300 अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

6– प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश दिनॉक 16 फरवरी 1999 के संलग्नक–।। के प्रस्तर 3(।।।)में उल्लिखित व्यवस्थानुसार इन उपाचार्यो को भी उपाचार्य के पद पर पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एवं उक्त शासनादेश के संगत नियम की समस्त शर्ते/प्रतिबन्ध पूर्ण करने पर वेतनमान रु0 12000–420–18300 में रु0 14940/–का न्यूनतम वेतन अनुमन्य होगा ।

7– उक्त वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरुप देय अवशेषों को सम्बन्धित पदधारक के जी0पी0एफ0खाते में जमा किया जायेगा और दिनॉक 1 मई,2003 का वेतन देय जो जून,2003 के साथ यह नकद भुगतान किया जायेगा ।

भवदीय,

23/4/03

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,वित्त ।

क्रमशः–3–

संख्या– (1)/वित्त अनु.–3 / 2003 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव , शिक्षा , उत्तरॉचल ।
(2) सचिव , श्री राज्यपाल उत्तरॉचल ।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ,ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा , देहरादून ।
(4) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें , उत्तरॉचल ।
(5) निदेशक,उच्च शिक्षा, उत्तरॉचल ।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी अल्मोडा/नैनीताल/पौडी ।
(6) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव ,वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
सं0–001/वि0अनु0–3/2005
देहरादून : दिनांक : 03 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग पर मा0 मंत्री लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, सूचना, संसदीय कार्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में हुई बैठक के क्रम में उक्त एसोसिएशन द्वारा कथित कतिपय वेतन विसंगतियों हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित की जाती है।

अध्यक्ष	:	अपर मुख्य सचिव
सदस्य	:	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
सदस्य	:	प्रकरण से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव
सदस्य	:	प्रकरण से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

उपरोक्त समिति, प्रथम समिति प्रकरणों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश की विभिन्न समितियों के अभिलेख प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् नियमानुसार, जहां भी वेतनमानों में विसंगति एवं विषमता है, उस पर सम्यक साक्ष्य लेकर उचित निर्णय देने पर विचार करेगी।

उपरोक्त समिति के समक्ष संघ द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये तर्क, वेतन समिति/विसंगति समिति के निर्णय तथा वर्तमान में पूर्व निर्णयों के क्रम में विसंगति के आधार प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से पूर्व निर्णयों के विस्तृत अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर समिति विसंगतियों पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देगी।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या : 001(1)/वि0अनु0–3/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल राज्य एकक, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह

अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
सं0–47 / वि0अनु0–3 / 2005
देहरादून : दिनांक : 28 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांग पर केन्द्र सरकार के वेतनमानों से समानता के सिद्धान्त पर 01–01–1986 से राज्य सरकार द्वारा गठित समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर एक बार समान वेतनमान स्वीकार किया गया था। कर्मचारी संघों द्वारा समय–समय पर वेतन विसंगतियों का प्रकरण पूर्व में वेतन विसंगति समिति, बजाज समिति तथा मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं तथा ऐसे प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर निर्णय भी लिया गया, जो वर्तमान में उत्तरवर्ती दोनों राज्यों में समाज रूप से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–7 में इस आशय का स्पष्ट प्राविधान है कि राज्य के विभाजन के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अलाभकारी नहीं होनी चाहिये। अतः पूर्व से स्थापित सिद्धान्तों एवं वेतन विसंगति हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के प्रभाजन के बाद उत्तरवर्ती राज्यों में लागू किया गया।

कतिपय संघों द्वारा कुछ विसंगतियों पर उत्तरांचल राज्य में अलग से विचार करने की मांग को दृष्टि में रखते हुये उत्तरांचल फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज ऐसोसियेशन की मांग पर वेतन विसंगति पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां देने हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या 001 / वि0अनु0–3 / 2005, दिनांक 03–01–2005 द्वारा गठित की गयी है। उक्त के परिवर्तित वेतन विसंगति के प्रकरणों में अन्य महासंघ, संघ, परिषद् संगठन द्वारा भी मांग प्रस्तुत की गयी है कि वेतन विसंगति के समस्त प्रकरणों पर उक्त समिति द्वारा ही विचार किया जाये।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महासंघ / संघ परिषद् / संगठन / विसंगति समिति के निर्णय तथा वर्तमान में पूर्व निर्णयों के क्रम में विसंगति के आधार प्रस्तुत करने पर समिति के समक्ष सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से पूर्व निर्णयों के विस्तृत अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त

कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर समिति विसंगतियों पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देगी।

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 47(1)/वि0अनु0-3/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को इस आशय से कि मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर सकें।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल राज्य एकक, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

संख्या 357 / XXVII(3) / वे0नि0 / 2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु0–3 देहरादून, दिनांक : 23 : अगस्त, 2005

विषयः– पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– प0मा0नि0–357 / दस–21(एम) / 97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किये जा चुके हैं। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर– 2(4) के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वर्तमान परिलब्धियों के आगणन हेतु द्वितीय अन्तरिम राहायता की धनराशि की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही शासनादेश के प्रस्तर – 4(1) की व्यवस्थानुसार 40 प्रतिशत की धनराशि की गणना भी मूल वेतन पर किये जाने के आदेश हैं।

(2) विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त वर्तमान परिलब्धियों एवं 40 प्रतिशत की धनराशि का आगणन मूल वेतन तथा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के योग पर किये जाने की माँग की जा रही है। इस विषयक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर– 2(4) तथा 4(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

प्रस्तर – 2(4) उपर्युक्त प्रस्तर – 2(1) में उल्लिखित मूल वेतन तथा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के योग पर आगणित 10 प्रतिशत के समतुल्य दूसरी अन्तरिम राहायता की धनराशि (न्यूनतम रू0 100 प्रतिमास की दर से)

प्रस्तर – 4(1) कर्मचारी के वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन तथा साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की धनराशि (यदि कोई हो) के योग की 40 प्रतिशत धनराशि **"वर्तमान परिलब्धियों"** में जोड़कर, जो धनराशि आये, पुनरीक्षित वेतनमान में उसके अगले स्तर पर,

किन्तु यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि से अधिक हो तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर होगा और यदि

उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उक्त वेतनमान के अधिकतम पर होगा।

(3) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 367 (1)/XXVII(3)/वेनि0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 राज्यपाल महोदय के सचिव।
2. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्या /XXVII(3)/वे0नि0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्या– /XXVII(3)/वे0नि0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि विधानसभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या 419/XXVII(3)/2005
देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2005
कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति (1997–1999) द्वारा 14वें प्रतिवेदन तथा 16वें प्रतिवेदन के खण्ड–1 व 2 के माध्यम से सम्बन्धित संवर्गों/विभागों के विषय में की गयी संस्तुतियों के क्रम में, केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर, कि जिन पदों पर केन्द्र से पद से पद की समकक्षता दिनांक 01 जनवरी 1986 से स्थापित की गयी थी, केन्द्र सरकार में ऐसे पदों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने पर राज्य सरकार भी तद्नुसार विचार करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 फरवरी, 2003 द्वारा इस संवर्ग के वेतनमानों को संशोधित कर दिया गया है। सम्यक विचारोपरान्त, राज्य में जिन विभागों अथवा संगठनों में नियमित लेखा/लेखा–परीक्षा संवर्ग गठित हैं, दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से पुनरीक्षित/उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपांक	वर्तमान पदनाम	01.01.1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान	01.04.2001 से संशोधित पदनाम	01.04.2001 से लागू संशोधित वेतनमान
1.	सहायक लेखाकार	रू0 4000–100–6000	सहायक लेखाकार	रू0 4500–125–7000
2.	लेखाकार	रू0 5000–150–8000	लेखाकार	रू0 5500–175–9000
3.	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू0 6500–200–10500	सहायक लेखाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	रू0 7450–225–11500
4.	लेखा परीक्षक	रू0 4000–100–6000	लेखा परीक्षक	रू0 4500–125–7000
5.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5000–150–8000	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5500–175–9000
6.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	रू0 5500–175–9000	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	रू0 6500–200–10500
7.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 (वरिष्ठ वेतनमान)	रू0 6500–200–10500	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	रू0 7450–225–11500
8.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू0 6500–200–10500	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	रू0 7500–250–12000

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों 01.01.1996 से लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग को संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाना सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही 01.04.2001 से उक्त संवर्गों हेतु संशोधित वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा।

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या–419(1)/XXVII(3)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0.वे0आ0) अनु0–7
संख्या 57/XXVII(7)/2005
देहरादून, दिनांक 07 दिसम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 001/वि0अनु0–3/2005, दिनांक : 03 जनवरी, 2005 के क्रम में प्रदेश के विभिन्न संवर्ग के पदों की वेतन विसंगतियों पर विचार हेतु गठित समिति में अब प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन को उक्त समिति का अध्यक्ष एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2. उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 जनवरी, 2005 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या 57(1)/XXVII(7)/2005 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. विसंगति से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव

संख्या– 76 /XXVII(7)/2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराँचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराँचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराँचल।

वित्त (वे0 आ0–स0 नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनाँकः 03 जून 2006

विषयः– मुख्य **मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम सहायक के पद के उच्चीकरण के सम्बन्ध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कियान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनाँकः 01–01–1996 के पूर्व वरिष्ठ सहायक, (संप्रति परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक) का वेतननान रु0 1350–30–1440–40–1800–द0 रो0–50–2200 तथा मुख्य लिपिक (संप्रति परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक) का वेतनमान रु0 1400–40–1800–द0 रो0–50–2300 था। वरिष्ठ सहायक के पद से मुख्य लिपिक के पद पर प्रोन्नति किये जाने की व्यवस्था थी। दिनाँकः 01–01–1996 से लागू वेतनमानों में वेतनमान रु0 1350––2200 तथा वेतनमान रु0 1400––2300 को एकीकृत कर इनका पुनरीक्षित वेतनमान रु0 4500–125–7000 किया गया है। इस कारण वरिष्ठ सहायक तथा मुख्य लिपिक जिनका परिवर्तित पदनाम अब मुख्य सहायक हो गया है के पदों के वेतनमान एक समान हो गये हैं। जबकि मुख्य लिपिक का पद वरिष्ठ सहायक से प्रोन्नति का पद है। स्पष्टतः उक्त दो वेतनमानों को एकीकृत किये जाने के कारण वरिष्ठ सहायक से मुख्य लिपिक के पद पर प्रोन्नति के अवसर समाप्त हो गये। इस विसंगति के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति की समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा मुख्य लिपिक अब परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक के पद को उच्चीकृत कर इसका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान रु0 5000–150–8000 किये जाने की संस्तुति की है। सम्यक विचारोपरांत समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन–जिन विभागों एवं कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500–125–7000 की पदोन्नति मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500–7000 के पद पर होती है उन–उन विभागों एवं कार्यालयों में मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक के पद को उच्चीकृत करते हुए इसका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान रू0 5000–150–8000 किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतः सम्बन्धित विभागों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार अपने विभागीय पदों के ढाँचे एवं संगत सेवा नियमावली में उपरोक्तानुसार व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे) 31.5.06
प्रमुख सचिव

संख्या– 76(1)/XXVII(7)/2006,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराँचल।
2–सचिव, विधानसभा उत्तराँचल।
3–रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4–सचिव,राज्यपाल उत्तराँचल।
5–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एकक, देहरादून
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एन0थपलियाल) 3.6.06
अपर सचिव

संख्या 109/xxvii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु–7 देहरादून दिनांक 29 जून, 2006

विषयः–राजकीय कार्यालयों में दि0 01–1–86 से पूर्व रू0 470–735 के वेतनमान के पदों के वेतनमान पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सचिव समिति, 1989 की संस्तुतियों पर विचार विमर्ष हेतु गठित मुख्य सचिव, समिति की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के अर्ध0 सा0प0स0वे0आ0–1–258(1)/10–101 म0ए0स0)/वी0सी0–1 दि0 24 जनवरी 1991 के द्वारा समस्त राजकीय कार्यालयों में दि0 01–01–86 के पूर्व जो पद रू0 470–735 के वेतनमान में विद्यमान थे और जिन्हें रू0 1200–2040 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, को उक्त वेतनमान के स्थान पर रू0 1350–2200 का वेतनमान अनुमन्य करते हुये उक्तानुसार शासनादेश का आलेख वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित करने के निर्देश निर्गत किये गये थे, लेकिन शासन के संज्ञान में आया है कि अब भी उक्त श्रेणी के कतिपय आशुलिपिकों को दि0 01–01–86 के पूर्व उक्त वेतनमानों के पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आशुलिपिक संवर्ग में दि0 01–01–86 के पूर्व जिन विभागों में आशुलिपिकों के पदों का वेतनमान रू0 470–735 था तथा वे जिस अधिकारी के साथ कार्य कर रहे थे, के पद के अनुरूप वेतनमानों का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, ऐसे पदधारकों को दि0 01–01–86 से रू0 1200–2040 के पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान के स्थान पर रू0 1350–2200 का वेतनमान तथा दि0 01–01–96 से उक्त वेतनमान को पुनरीक्षित कर रू0 4500–7000 का वेतनमान अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. अतः सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके यहां आशुलिपिक संवर्ग में उक्तानुसार उक्त पद के वेतनमान पुनरीक्षित न किये गये हों तो इस हेतु प्रस्ताव अविलम्ब अपने व्यय–नियंत्रण अनुभागों को प्रेषित कर पुनरीक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही कर संगत सेवानियमों में भी आवश्कय संशोधन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या (1)/xxvii(7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. *महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6. निदेशक, एन0आई0सी, देहरादून।

आज्ञा से

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

संख्या– 110 /XXVII(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त (वे0आ–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 29 जून, 2006

विषय :– स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति(1997–99) की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत् 50 : 30 : 15 : 5 रखते हुए, उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड–2, आशुलिपिक ग्रेड–1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 कर दिया जाय एवं उक्त चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः रू0 4000–6000, रू0 5000–8000 रू0 5500–9000 तथा रू0 6500–10500 रखा जाय।

2. उपर्युक्त स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप आशुलिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए, संवर्ग में पदोन्नतियां किये जाने हेतु, सेवा नियमावलियों के संशोधन में लगने वाले समय के दृष्टिगत संबंधित कर्मचारियों के समायोजन/पदोन्नति हेतु, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) संवर्ग में की जाने वाली नियुक्तियॉं/पदोन्नतियॉं पदनाम व वेतनमान संशोधन आदि की कार्यवाही निम्न प्रकार कर ली जाय :–

(क) संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा और इसे आशुलिपिक ग्रेड–2 कहा जायेगा। इस पद का वेतनमान रूपये 4000–6000 होगा।

(ख) आशुलिपिक ग्रेड–1 (वेतनमान रूपये 5000–8000) के पद द्वितीय स्तर के पद होंगे तथा इन पदों पर समायोजन/पदोन्नति हेतु आशुलिपिक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी।

(ग) वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (वेतनमान रूपये 5500–9000) के पद तृतीय स्तर के पद होंगे और इन पर समायोजन/पदोन्नति हेतु आशुलिपिक ग्रेड–1/समकक्ष पद पर की गयी न्यूनतम 05 वर्ष अथवा संवर्ग में की गयी कुल 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी।

(घ) वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 (वेतनमान रूपये 6500–10500) के पद संवर्ग के चतुर्थ स्तर के पद होंगे और इन पर समायोजन/पदोन्नति हेतु वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2/समकक्ष पद पर की गयी न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा, अथवा संवर्ग में की गयी कुल 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी।

(2) जिन विभागों में स्टाफिंग पैटर्न का शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है, वहाँ दिनांक 13.12.2004 को आशुलिपिक संवर्ग में उपलब्ध पदों को निर्धारित अनुपात में पुनः वितरित मानते हुए उपर्युक्त प्रस्तर–2(1) में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी सेवा वाले कर्मचारियों का उपर्युक्तानुसार समायोजन इस आदेश के निर्गत होने की पूर्ववर्ती तिथि तक किया जायेगा। इस तिथि के बाद उच्चतर पदों पर नियुक्ति हेतु उपर्युक्त प्रस्तर–2(1) में निर्धारित शर्तों के अधीन पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी एवं आच्छादित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) जिन विभागों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों के विभाजन का निर्णय हो चुका है वहाँ पहले से विभिन्न स्तर के पदों की उपलब्धता की दशा में वेतन निर्धारण हेतु जारी किये गये विभागीय शासनादेश में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा परन्तु पदों के जो स्तर विभाग में पूर्व में उपलब्ध नहीं थे, उनके सापेक्ष समायोजन/पदोन्नति की प्रक्रिया का अनुसरण उपर्युक्त प्रस्तर–2(2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(4) उपर्युक्तानुसार उच्चतर पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

3. प्रश्नगत संवर्ग के प्रथम स्तरीय पद आशुलिपिक ग्रेड–2 (वेतनमान रूपये 4000–6000) पर नियुक्ति हेतु पूर्व निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की निर्धारित गति तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान की अर्हता (डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सी.सी. सी. पाठ्यक्रम अथवा उत्तरांचल शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य सोसाइटी से प्रशिक्षण प्राप्त होना) अनिवार्य अर्हता होगी।

4. प्रशासनिक विभाग सेवा नियमावलियों में इस प्रकार का संशोधन कर लें कि आशुलिपिक संवर्ग को राज्य स्तरीय बनाया जा सके, ताकि पदोन्नति हेतु निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न का समुचित लाभ अधिक से अधिक कार्मिकों को प्राप्त हो सके।

5. सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही इन कार्यकारी आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या– (1)/XXVII(7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
3– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तरांचल।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 108 /XXVII(7)/2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0अ0–सा0नि0) अनु0– 7 देहरादून, दिनांक : 3 जुलाई 2006

विषयः–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे के पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रकिया आदि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :–

राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों सहित प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार 4 ग्रेडों में रखा जाय –

क्रम सं0	ग्रेड/पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
1.	वाहन चालक ग्रेड – 4	3050–4590	35	वाहन चालक ग्रेड– 4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2.	वाहन चालक ग्रेड – 3	4000–6000	30	वाहन चालक ग्रेड – 3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड – 4 से की जायेगी, जिन्होंने 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3.	वाहन चालक ग्रेड – 2	4500–7000	30	वाहन चालक ग्रेड – 2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड – 3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड – 3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड– 4 की सेवा को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड – 1	5000–8000	5	वाहन चालक ग्रेड – 1 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे चालक ग्रेड – 2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड – 2 के पद पर 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

VII-395

नोटः- वाहन चालक ग्रेड – 4 से वाहन चालक ग्रेड – 3 के पद एवं वाहन चालक ग्रेड – 3 से वाहन चालक ग्रेड– 2 के पदों पर पदान्निति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम संलग्नक के अनुसार होगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश शासन क अधीन सभी विभागों में वाहन चालक के प्रत्येक संवर्ग मे अलग – अलग रखी जाये, परन्तु शासन के एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन किन्हीं कार्यालयों में वाहन चालकों के पदों की संख्या कम होने की दशा में पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों के वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकेगा।

3. कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहां वाहन चालक के कम संख्या में पद उपलब्ध है, वहां पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए उचित होगा कि जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जाय –

क्रम सं0	वाहन चालकों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		वाहन चालक ग्रेड – 4 रू0 3050–4590	वाहन चालक ग्रेड – 3 रू0 4000–6000	वाहन चालक ग्रेड – 2 रू0 4500–7000	वाहन चालक ग्रेड – 1 रू0 5000–8000
1	1	1	–	–	–
2	2	1	1	–	–
3	3	1	1	1	–
4	4	1	1	1	1
5	5	2	1	1	1
6	6	2	2	1	1
7	7	2	2	2	1
8	8	3	2	2	1
9	9	3	3	2	1

4. उपरोक्तानुसार स्वीकृत ग्रेड/वेतनमान में वर्तमान वाहन चालकों के समायोजन/पदोन्नति की प्रकिया नियमानुसार होगी –

(क) सम्बन्धित पदधारक वर्तमान में जो वेतनमान प्राप्त कर रहा है वह तदनुसार उसी ग्रेड में समायोजित हो जायेगा। उदाहरणार्थ – यदि किसी विभाग में कोई वाहन चालक वर्तमान में रू0 4000–6000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड – 3 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा और यदि वाहन चालक वर्तमान में रू0 4500–7000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड – 2 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा।

(ख) राज्य सम्पत्ति विभाग में यदि मोटर मैकेनिक पद रू0 3200–4900 के वेतनमान में है। इन पदधारकों को यदि वह वेतनमान रू0 3200–4900 अथवा वैयक्तिक वेतनमान रू0 4000–6000 मे कार्यरत है तो उन्हें वाहन चालक ग्रेड – 3 में समायोजित किया जाय तथा

यदि वह रू0 4500–7000 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है तो उन्हें वाहन चालक ग्रेड – 2 में समायोजित कर दिया जाय।

(ग) उपरोक्तानुसार वर्तमान वाहन चालकों को विभिन्न ग्रेड्स में समायोजित करने के बाद यदि ग्रेड–3, ग्रेड–2 व ग्रेड–1 में निर्धारित विभाजन के सापेक्ष पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें पदोन्नति की उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए भरा जाय। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पदधारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों की संख्या से अधिक हो जाती है तो अधिक पदधारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही सम्बन्धित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

(घ) उपरोक्तानुसार उच्च वेतनमान के पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

5. वाहन चालक के ऐसे पदधारक जिनका उपरोक्तानुसार समायोजन ग्रेड– 3, ग्रेड –2 तथा ग्रेड – 1 के पदों के सापेक्ष होता है, उनका सम्बन्धित ग्रेड के वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2 भाग – 2 से 4 के मूल नियम 22ए (1) के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित ग्रेड में पदोन्नति की निर्धारित प्रकिया के आधार पर नियुक्त होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

6. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या –08/XXVII(7) 2006 तद्दिनांक का संलग्नक

वाहन चालक ग्रेड – 4 से वाहन चालक ग्रेड – 3 के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंको एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।
(Must be able to read English numerals and figures.)

(2) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।
(Must have good knowledge of traffic regulation)

(3) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूंढने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हो।
(Must be able to locate faults and sort out minor running repairs.)

(4) वाहन के पहिए बदलने एवं पहियों के टायर में हवा के सही दबाव को समझने में सक्षम हो।
(Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.)

परीक्षा – उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।
(Test – Practical test based on above.)

वाहन चालक ग्रेड –3 से वाहन चालक ग्रेड – 2 पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंको एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।
(Must be able to read English numerals and figures.)

(2) यातायात सम्बन्धी नियमों की गहन जानकारी हो।
(Must have a thorough knowledge of traffic regulation)

(3) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूंढने एवं ठीक करने में सक्षम हो।
(Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.)

(4) कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो।
(Must be able to clear carburetors, plug etc.)

परीक्षा – उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः 145/XXVII(7)/06

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर, 2006

विषय : शासनादेश संख्याः109/XXVII(2)/2006 दिनांकः 29 जून, 2006 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः109/XXVII(2)/2006 दिनांकः 29 जून, 2006 के द्वारा दिनांकः 01.01.1986 से पूर्व 470–735 के वेतनमान के आशुलिपिकों के दिनांकः 01.01.86 तथा 01.01.96 से वेतनमान पुनरीक्षण के विषय में निर्गत व्यवस्था के विषय में शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ मांगों के द्वारा दिनांकः 01.01.86 के बाद आशुलिपिक के सृजित पदो पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी उक्त शासनादेश के अनुसार वेतनमान के पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है और कतिपय पदधारकों को पुनरीक्षित वेतनमान अपने स्तर से विभागाध्यक्ष के द्वारा ही अनुमन्य कर दिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांकः 29 जून, 2006 के द्वारा वेतनमान पुनरीक्षण की व्यवस्था आशुलिपिक के पदों पर कार्यरत/नियुक्त केवल उन पदधारकों के लिए ही अनुमन्य होगी, जो दिनांक 01.01.1986 के पूर्व रू0 470–735 के वेतनमान में सृजित हुए पदो पर नियुक्त हुए हों और उनका वेतनमान दिनांकः 01.01.86 से रू0 1200–2040 तथा दिनांकः 01.01.96 से रू0 4000–6000 के वेतनमान में पुनरीक्षित हुआ हो। शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षण के प्रस्तावों पर कार्यवाही तभी की जाय जब वेतनमान रू0 470–735 में पद के सृजन का शासनादेश, या उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने पर दिनांक 01.01.86 एवं दिनांकः 01.01.96 को उक्त पद के वेतनमान के संशोधन के शासनादेश प्रशासनिक विभाग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी कर दिया

2..

जाय। वेतन निर्धारण एवं किसी प्रकार के एरियर का भुगतान कोषागार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश के बाद ही किया जाय।

3. यदि उक्त प्रकिया के अनुसरण किये बिना ही किन्ही पदधारकों को विभागाध्यक्ष के आदेश से ही उक्त वेतनमान का पुनरीक्षण कर अवशेष का भुगतान दिया गया हो तो उक्त प्रकिया अनियमित मानी जायेगी। यदि बिना वित्त विभाग की सहमति एवं पदों के स्पष्ट उल्लेख के, स्पष्ट शासनादेश निर्गत करवाये, कोई धनराशि आहरित की गयी हो तब उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।

4. मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के कम में मात्र दिनांकः 1.1.86 के पूर्व रू0 470–735 के वेतनमांन के पदों हेतु ही यह व्यवस्था लागू की गयी है। दिनांकः 1.1.86 के बाद सृजित पद या नियुक्त होने वाले आशुलिपिकों हेतु पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। दिसम्बर, 2004 से इस सवर्ग हेतु लागू स्टाफिंग पैटर्न उक्त तिथि पर कुल सृजित पदों के आधार तथा निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाय। मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के कम में एक बार रू0 470–735 के वेतनमान के पुनरीक्षित करने का संदर्भ मात्र दिनांकः 1.1.86 के पूर्व से उक्त वेतनमान के पदधारकों पर लागू होगा, तथा इसका स्टाफिंग पैटर्न के प्रारम्भिक वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः 145(1) XXVII(7)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

460

संख्या– / XXVII(7) / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक 15 नवम्बर, 2006

विषयः–दिनांक 01.01.1986 से पूर्व रू0 470–735 के वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 एवं 05 सितम्बर, 2006 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–109 / XXVII(7) / 2006, दिनांक 29 जून, 2006 तथा तद्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश सं0–145 / XXVII(7) / 2006, दिनांक 05 सितम्बर, 2006 निर्गत करने के बाद भी आशुलिपिक संवर्ग के विषय में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वे0आ0) अनु0–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–904 / दस– 2006, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 एवं कतिपय संघों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या दिनांक 01.01.1986 से उन सभी आशुलिपिकों को रू0 1350–2200 का वेतनमान अनुमन्य कराया गया है जिन्हें रू0 1200–2040 का वेतनमान पूर्व से अनुमन्य हो चुका है? चूँकि यह प्रकरण पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से भी सम्बन्धित था और राज्य स्थापना के पूर्व का प्रकरण है, अतः पत्र संख्या–206 / XXVII(7) / 2006, दिनांक 15 सितम्बर, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश को यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैन्च में दायर रिट याचिका संख्या–560 / एसएस / 1992 में पारित उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–2468 / सात–न्याय–2–05–33–रिट / 92, दिनांक 5.9.2005 के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के रू0 470–735 के वेतनमान को 1.1.1986 से रू0 1350–2200 किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। याचिका में उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के अ0शा0 पत्र सं0–वे0आ0–1–2518 /दस–101(एम) /89 टी0सी0–1, दिनांक 24 जनवरी, 1991 को आधार बनाया गया है, कि दिनांक 1.1.1986 से पूर्व रू0 470–735 के वेतनमान में जिन आशुलिपिकों को रू0 1200–2040 अनुमन्य कराया गया था उन्हें रू0 1350–2200 का वेतनमान अनुमन्य होगा। यद्यपि उक्त आदेश के बाद उ0प्र शासन के अ0शा0 पत्र सं0–वे0आ0–1–1311 / दस–101 (एम) / 89, दिनांक 16.07.1993 द्वारा मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमानों को नये सिरे से संशोधित कर दिया गया था, जो मूलतः अधिकारी, जिसके साथ आशुलिपिक सम्बद्ध हो, के वेतनमान

पर आधारित था तथा प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की गयी थी कि अपने विभागों के ढॉचे को तदनुसार संशोधित कर वित्त विभाग की सहमति शीघ्र प्राप्त करें।

2– दिनांक 16 जुलाई, 1993 का शासनादेश निर्गत करते समय भी चूँकि रू0 1200–2040 के वेतनमान में आशुलिपिक का पद अस्तित्व में था और अधिकारी, जिसके साथ आशुलिपिक सम्बद्ध/कार्यरत था, पर आधारित बनाया गया था, अतः उत्तरांचल सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऐसा आशुलिपिक जो 1.1.1986 से पूर्व रू0 470–735 के वेतनमान में सृजित पद के सापेक्ष नियुक्त किया गया था और अधिकारी जिसके साथ वह आशुलिपिक 1.1.1986 या उसके बाद सम्बद्ध हुआ था, का वेतनमान इस प्रकार हो कि उक्त आशुलिपिक का वेतनमान रू0 1200–2040 ही अनुमन्य कराया गया हो और मात्र ऐसे पदधारकों को 1.1.1986 से रू0 1350–2200 का वेतनमान केवल वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाय। तात्पर्य यह है कि 1.1.1986 के पूर्व के ऐसे आशुलिपिक पदधारक को यह वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जब तक कि वह रू0 1350–2200 या इससे उच्च वेतनमान (प्रोन्नति/समयमान वेतनमान के रूप में) प्राप्त न कर ले।

3– वेतन समिति (1997–99) के 14वें तथा 16वें प्रतिवेदन खण्ड–1 व 2 के क्रम में मुख्य सचिव समिति (उ0प्र0) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या अ0शा0 पत्र सं0–वे0आ0–2–641/दस–2002–14/2007 टी0सी0, दिनांक 24.04.2002 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग हेतु उत्तरांचल के स्टाफिंग पैटर्न शासनादेश संख्या–110/XXVII(7)/2006, दिनांक 29 जून, 2006 द्वारा दिनांक 13.12.2004 से आशुलिपिक संवर्ग में विभागों में उपलब्ध पदों पर निर्धारित अनुपात में लागू किया गया, अर्थात् 1.1.1986 के पूर्व नियुक्त रू0 470–735 के आशुलिपिकों को, अधिकारी जिससे वे सम्बद्ध थे, के वेतनमान के कारण 1.1.1986 से रू0 1200–2040 का वेतनमान दिया गया, हेतु विशेष स्थिति एवं ऐसे कर्मचारियों को हानि न हो, वैयक्तिक रूप यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जो उच्च वेतनमान प्राप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

4– उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि आशुलिपिक संवर्ग हेतु 1.1.1986 से विभाग में आशुलिपिक की वरिष्ठता को दृष्टि में रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से उसका वेतनमान, अधिकारी, जिसके साथ वह सम्बद्ध हो, के वेतनमान पर आधारित किया गया था तथा 13 दिसम्बर, 2004 से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वेतनमान संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अतः उपरोक्त विषयक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 तथा 05 सितम्बर, 2006 का तात्पर्य है कि दिनांक 1.1.1986 से पूर्व नियुक्त आशुलिपिक के वे पदधारक जिन्हें रू0 470–735 का वेतनमान अनुमन्य था परन्तु 1.1.1986 को उनका वेतनमान 1200–2040 निर्धारित किया गया था,

मात्र उन्हीं पदधारकों को 1.1.1986 से रू0 1350–2200 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा, जब तक कि उन्हें रू0 1350–2200 या उससे उच्च वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान के रूप में न प्राप्त हो जाय।

उपरोक्त स्पष्टीकरण आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि दिये गये अपवाद को छोड़कर एवं 13 दिसम्बर, 2004 से लागू आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान की संरचना यथावत् बनी रहे।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या–270(1)/XXVII(7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून।
3– रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः२७७/xxvii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉक२५नवम्बर 2006

विषयः–वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक पदनाम प्रशासनिक अधिकारी–2 कर वेतनमान रू0 5000 –150–8000 मे उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्याः76 /xxvii(7)/2006 दिनांकः 03 जून,2006 में संशोधन ।

महोदय,

शासनादेश संख्याः76/xxvii(7)/2006 दिनांकः 03 जून,2006 द्वारा जिन–जिन विभागों एवं कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500–125–7000 की पदोन्नति मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500–7000 के पद पर होती है उन–उन विभागों एवं कार्यालयों में मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक के पद को उच्चीकृत करते हुए इसका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी–2 वेतनमान रू0 5000–150–8000 किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांगों के संबंध में मा0 मत्री, लोक निमार्ण,राज्य सम्पत्ति,सूचना, संसदीय कार्य, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, उत्तरांचल की अध्यक्षता में दिनांकः 25.10.2006 को हुई समझौता वार्ता के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 3 जून,2006 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से लागू व्यवस्था को दिनांक 01 जुलाई,2001 से लागू करते हुए नगद भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांकः3 जून,2006 के द्वारा लागू की गई व्यवस्था को अब दिनांकः1 जुलाई,2001 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि से देय समस्त ऐरियर का पदधारक को नगद भुगतान किया जायेगा ।

3.उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 जून,2006 केवल उपर्युक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या-277 (1)/XXVII(7)/2006 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

12. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
13. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
14. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
16. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
17. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
18. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल देहरादून।
20. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
21. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
22. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 144 /xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक 05 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 001/वि0अनु0–3/2005, दिनांक 03 जनवरी, 2005 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–47/वि0अनु0–3/2005, दिनांक 28 जनवरी, 2005 के क्रम में कतिपय वेतन विसंगतियों हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति के स्वरूप एवं आकार में विस्तार करते हुए राज्यपाल महोदय उक्त समिति को निम्नवत् पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1.	अपर मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	**सदस्य**
3.	प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग	**सदस्य**
4.	प्रकरण से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	**सदस्य**
5.	प्रकरण से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	**सदस्य**
6.	अपर सचिव, वित्त (वेतन आयोग)	**सदस्य/सचिव**

उपरोक्त समिति पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश की वेतन सम्बन्धी समिति के निर्णयों के क्रम में साक्ष्य प्राप्त कर वेतन समिति के सन्दर्भ में लागू किये गये वेतन एवं भत्तों में संशोधन तथा वेतन एवं भत्तों की अन्य विसंगतियों के प्रस्तावों पर, उत्तराखण्ड की परिस्थितियों, आवश्कयताओं, वित्तीय संसाधनों आदि को दृष्टि में रखते हुए, तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए विचार करेगी।

वेतन एवं भत्तों में विसंगति तथा विभिन्न वेतनमानों एवं भत्तों में संशोधन/पुनरीक्षण के जो भी प्रकरण उक्त समिति के संज्ञान में लाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वे प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत अभिलेख एवं साक्ष्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इन अभिलेखों एवं साक्ष्यों पर वेतन विसंगति समिति विचार कर अपने संस्तुति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या 144(1)/xxvii(7)/2007, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड राज्य एकक।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

अर्द्धशा0प0स0 323/xxvii(7)/2007
उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0ओ0–सा0नि0)अनु–7
देहरादूनः दिनांक 15 अक्टूबर, 2007

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में दिनांक 1–1–86 से आशुलिपिकों का वेतनमान जिस अधिकारी के साथ कार्यरत थे के वेतनमान के अनुसार वेतनमान निर्धारित किया गया तथा दिसम्बर 2004 से स्टाफिंग पैटर्न उत्तराखण्ड में लागू प्रक्रिया पर वेतन विसंगति समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि "दिनांक 1–1–86 से पूर्व रू0 470–735 वेतनमान में नियुक्त आशुलिपिकों को ही जब तक उन्हें समयमान वेतनमान या प्रोन्नति वेतनमान न मिल जाय व्यक्तिगत रूप में दिनांक 1–1–86 से रू0 1350–2200 तथा दिनांक 1–1–96 से रू0 4500–7000 का वेतनमान यथावत् रखा जाय।" तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन या मानक बदलने का औचित्य नहीं पाया गया।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन

उत्तरांखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0 7
संख्या– 262 / XXVii(7) / 2008
देहरादूनः दिनॉकः 25 अगस्त, 2008

संकल्प

विषयः– प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन।

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में युक्तिसंगत संस्तुति करने के लिए श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में एक वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति में निम्न सदस्य एवं सचिव होगें :–

1– श्री पी0सी0शर्मा, सदस्य
प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2– श्रीमती राधा रतूडी, सदस्य
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

3– श्री एन0एन0थपलियाल, सदस्य
वित्तीय परामर्शदाता,
उत्तराखण्ड शासन।

4– श्री शरद चन्द्र पाण्डे, सचिव
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समिति के विचार क्षेत्र में निम्न बिन्दु होगें:–

(1) निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में वेतनमानों के आधार पर संस्तुति –
(क) राजकीय कर्मचारी / अधिकारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।
(ख) सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी।

(ग) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।

(घ) सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी तथा अधिकारी।

(2) ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां।

(3) जूनियर डाक्टर एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी के सम्बन्ध में संस्तुतियां।

(4) समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान का पुर्नावलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुतियां।

(5)विभिन्न प्रकार के मिल रहे भत्ते एवं सुविधायें

(6)राज्य कर्मचारियों का पेंशन ढांचा तथा अन्य पेंशनरी लाभ।

(7) राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कार्मिकों की क्षमता वृद्धि आदि पर विशेषज्ञों के सुझावों के आलोक में समिति संस्तुति करेगी।

(8) ऐसे विशिष्ट मामले जो शासन द्वारा संदर्भित किये जायें।

5– समिति उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी।

6– समिति का मुख्यालय देहरादून में होगा और विचार विमर्श के लिए वह समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी समिति ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

7– समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान एवं पेंशन के विषय में प्रथम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर पूर्व से स्थापित समतुल्यता के आधार पर प्रस्तुत करेगी तथा सन्दर्भित अन्य विषयों पर समय–समय पर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत कर सकेगी तथा समिति अन्तिम रिपोर्ट 6 माह के भीतर शासन को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

1– यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।

2– आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।

3– आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।

4– आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जायें।

5– आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जाये।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 वित्त/470–19–11–2008–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या– 395 / XXVII / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–262 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनॉक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनो के साथ संकल्प संख्या–394 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों जो दिनॉकः 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनॉकः 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम– 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड) / वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पोन्डिंग) क्रमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढॉचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

4. वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंड में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति प देय धनराशि से है।

5. संशोधित वेतन ढॉचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिव वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियं को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसवं सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका वं अनुसार किया जायेगा।

7. संशोधित वेतन ढॉचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिव वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

<u>उदाहरण</u> –1

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–7–2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणो में जहॉ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनॉक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनमन्य होगी।

11. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू मंहगाँई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगाँई भत्ता दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणाँक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे जहाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनाँक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनॉक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे मे चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनॉक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहॉ कोई सरकारी कर्मचारी दिनॉक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने को तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढॉचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

21. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढॉचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तद्नुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानो में संशोधित दरों पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भॉति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होगें।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनॉक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढॉचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढॉचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेगें।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनॉक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनॉक 1–1–2006 से दिनॉक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे है, जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहें थे। चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहें हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक–

(1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
(2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
(3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 395(1) /XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
2– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
3– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

संख्या– 395(2) /XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2006 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

शासनादेश संख्याः 395–XXVii(7)/2008 का संलग्नक–2

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	*6,070*	*1,300*	*7,370*
3,320	*6,180*	*1,300*	*7,480*
3,380	*6,290*	*1,300*	*7,590*

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	*6,710*	*1,400*	*8,110*
3,670	*6,830*	*1,400*	*8,230*
3,735	*6,950*	*1,400*	*8,350*

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-18 Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	7,570	1,650	9,220
4,140	7,700	1,650	9,350
4,210	7,840	1,650	9,490

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	***8,330***	***1,800***	***10,130***
4,550	***8,470***	***1,800***	***10,270***
4,625	***8,610***	***1,800***	***10,410***

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	*8,690*	*1,900*	*10,590*
4,750	*8,840*	*1,900*	*10,740*
4,830	*8,990*	*1,900*	*10,890*

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	*9,280*	*2,000*	*11,280*
5,070	*9,430*	*2,000*	*11,430*
5,155	*9,590*	*2,000*	*11,590*

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	*11,350*	*2,400*	*13,750*
6,200	*11,540*	*2,400*	*13,940*
6,300	*11,720*	*2,400*	*14,120*

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	*13,260*	*2,800*	*16,060*
7,250	*13,490*	*2,800*	*16,290*
7,375	*13,720*	*2,800*	*16,520*

* Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	*15,160*	*4,200*	*19,360*
8,300	*15,440*	*4,200*	*19,640*
8,450	*15,720*	*4,200*	*19,920*

Pre-revised scale
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	*17,070*	*4,200*	*21,270*
9,350	*17,400*	*4,200*	*21,600*
9,525	*17,720*	*4,200*	*21,920*

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	***19,910***	***4,200***	***24,110***
10,900	***20,280***	***4,200***	***24,480***
11,100	***20,650***	***4,200***	***24,850***

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	*21,810*	*4,600*	*26,410*
11,950	*22,230*	*4,600*	*26,830*
12,175	*22,650*	*4,600*	*27,250*

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,300	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	*22,790*	*4,800*	*27,590*
12,500	*23,250*	*4,800*	*28,050*
12,750	*23,720*	*4,800*	*28,520*

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	*28,880*	*6,600*	*35,480*
15,850	*29,490*	*6,600*	*36,090*
16,175	*30,090*	*6,600*	*36,690*

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	*30,090*	*6,600*	*36,690*
16,500	*30,690*	*6,600*	*37,290*
16,825	*31,300*	*6,600*	*37,900*

Pre-revised scale
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	*31,390*	*7,600*	*38,990*
17,250	*32,090*	*7,600*	*39,690*
17,625	*32,790*	*7,600*	*40,390*

Pre-revised scale
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	*43,390*	*8,700*	*52,090*
19,100	*44,700*	*8,700*	*53,400*
19,500	*44,700*	*8,700*	*53,400*

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	*46,050*	*8,900*	*54,950*
20,900	*46,050*	*8,900*	*54,950*
21,350	*47,440*	*8,900*	*56,340*

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	***53,410***	***10,000***	***63,410***
23,400	***55,020***	***10,000***	***65,020***
23,900	***56,680***	***10,000***	***66,680***

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale
Rs.26000 (fixed)

Revised Pay Scale
Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

शासनादेश संख्या 396-xxvii(7) का संलग्नक–3

विकल्प फार्म

*(1) मैं———————————— दिनांक 1जनवरी,2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता/करती हूँ ।

*(1) मैं———————————— मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये गये वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख

———————— रूपये हो जाये ।

मैं मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना

बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ ।

मौजूदा वेतनमान————————————

हस्ताक्षर ————————

नाम————————

पदनाम————————

कार्यरत कार्यालय का नाम————————

दिनांक:

स्टेशन:

*यदि लागू न, तो काट दिया जाय।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 वित्त/448–25–10–2008–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या: 25/XXVII(7)द्वि0प्रति0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 13,फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति(2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निणर्यानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0 सी0,ए0 आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या:वे0आ0–2–1007/दस–17 जी–1998 दिनांक 10 जुलाई 1998, संख्या–वे0आ0–2–1282/दस–17(जी)98 दिनांक 7 अक्टूबर,1998 तथा संख्या:160/वि0 अनु0–3/2001 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण एवं शासनादेश संख्या:2363/15–8–98/3004(2)/98 दिनांक 17 अक्टूबर,1998 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया गया था ।

2–प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के कम में

राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0 जी0 सी0,ए0आई0 सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड—पे उक्त वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के उक्त तिथि से वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु समस्त मूलभूत सिद्धान्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के दिनांक 1—1—2006 से केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान संस्तुत प्रतिस्थापित वेतनमानों के अनुसार निर्गत शासनादेश संख्याः 395 /xxvii (7)/2008 दिनांकः17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही पुनरीक्षित किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

1—शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर व्यय का अनुपात 10:1 से अधिक नहीं रखा जाना चाहिये और इसे और भी कम किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

2—नेशनल असेसमेंट एण्ड एकरीडिटेशन काउन्सिल(एन0ए0ए0सी0) अथवा अन्य सक्षम एजेन्सी से अनुदानित संस्थाओं का मूल्याकन कराया जाय एवं जो संस्थायें न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं करती हैं उन्हें नोटिस दिया जाय और निर्धारित समय अवधि में सुधार परिलक्षित न होने व मानक पूर्ण न होने पर संस्था को अनुदान सूची से हटाये जाने की कार्यवाही की जाय।

3—इन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यदि पूर्व से राज्य सरकार के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से यदि एकरूपता रखी गयी है तो आगे भी एकरूपता रखी जाय।

2—उक्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्तानुसार दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों पर मंहगाई भत्ता पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः396/xxvii(7)दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य होगें ।

3—उक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0 सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1—1—2006 से पेंशन का पुनरीक्षण राज्य

सरकार के कर्मियों के लिए निर्गत शासनादेश संख्या:419/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 एवं संख्या:421/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार ही किया जाएगा और उक्त पुनरीक्षित पेंशन पर मंहगाई राहत शासनादेश संख्या:420/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—29 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या:16/xxvii(7)/2008, दिनांकः19जनवरी,2009 के अनुसार अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

5—दिनांक 1—1—2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष के भुगतान के विषय में पूर्व निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 419/ xxvii(7)/2008, दिनांकः 27अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—12 की व्यवस्था को शासनादेश संख्या 16/xxvii(7)/2009, दिनांकः 19जनवरी,2009 द्वारा संशोधित कर अब भुगतान 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में किया जाएगा।

6—इस संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 जुलाई,1998,7 अक्टूबर,1998, दिनांक17 अक्टूबर,2008, दिनांक27 अक्टूबर, 2008 एवं दिनाक 19 जनवरी,2009 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इनके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

<u>संख्याः 25 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 वित्त/605–20–2–2009–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः 27/xxvii(7)(स्प0–1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008,दिनांकः17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग/संगठनों/संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतद्द्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण/वितरण

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5—दिनांक 1—1—2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड—पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांकः15—1—2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है । उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी ।

6—वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचें में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1—1—2007 को अनुमन्य होगी । इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है । अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7—शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर—29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

8—दिनांक 1—1—2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008–09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:27(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

अज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

संख्याः ५१/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः–दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक–2 में उल्लिखित फिटमेन्ट टेबिल में उक्त तिथि के पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन निर्धारण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दिनांक1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न सेवा संघों के द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नवत वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जायेः–

वेतन बैंड–1(रू0 5200–20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैंड–2(रू09300–34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड–3(रू015600–39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड–4(रू0 37400–67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

2–ऐसे प्रकरणों में, जहॉ पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियॉ (अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान(वेतनमानों)में मूल वेतन जमा मंहगाई भता) संशोधित वेतन सरंचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

3–अतः उक्त श्रेणी के सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए भी विकल्प की तिथि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक अंतिम बार बढ़ाई जा रही है। उक्त तिथि के बाद विकल्प की तिथि अग्रेतर नहीं बढ़ाई जाएगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 41 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, ननीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–74/XXVII(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2009

विषयः– छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, (2008) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृत क्रमशः शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा की गयी है।

2–वेतन समिति (2008) ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भाँति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–4–2009 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय, शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 के श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–4 में उल्लिखित वेतनमान के सादृश्य कालम–5 एवं 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्राकल्पित आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) नियमित रूप से एक निश्चित समय अन्तराल में शिक्षकों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जाना चाहिए तथा उच्चतर वेतनमान देते समय आंकलन के परिणामों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद/प्रथम अथवा ऐसी ही

किसी संस्था से प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम तैयार कराये जाने चाहिए एवं कार्यकुशलता के आंकलन हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। Achievement व Output समरूप नहीं हैं अतः Incentive/Disincentive के मानक निर्धारित किये जायें।

(2) शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय, केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों के गत तीन वर्षों के दसवीं व बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों की ग्रेडिंग की जाये तथा सम्बन्धित शिक्षकों की कार्यकुशलता का आकलन किया जाये।

(3) शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं, कदाचित यह राज्य को शिक्षा हब (Education Hub) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सके।

(4) शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग अलग–अलग गठित किये जाने चाहिए तथा शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रशासनिक संवर्ग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक अध्यापन कार्य संचालित करते रहें एवं राज्य सेवा से सीधी भर्ती द्वारा आने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाया जाये। इन दोनों संवर्गो की संवर्गीय नियंत्रण की व्यवस्था अलग–अलग की जोनी चाहिए।

(5) संविधान के तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निचले स्तर पर पहुँचाया गया है एवं व्यवस्थाओं में जन सहभागिता बढाई गयी है। समिति का मत है कि शिक्षकों के कार्यो के मूल्यांकन हेतु यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में खरे न उतरने वाले शिक्षकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने चाहिए। यदि अशासकीय विद्यालयों का प्रबन्ध तंत्र कार्यवाही न करे तो उनका वित्त पोषण समाप्त किया जाना चाहिए तथा मान्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

(6) प्रथमतः अध्यापकों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं होना चाहिए। प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए जनपदीय संवर्ग होना चाहिए तथा उनके स्थानान्तरण जनपद में ही होने चाहिए। माध्यमिक तथा हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति भले ही प्रदेश स्तर पर हो किन्तु स्थानान्तरण यथा संभव जनपद के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

3–प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत किये गये वेतनमान के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान के भुगतान की प्रकिया समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा

संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रहेगी।

4–उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु0 8000–13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से वेतन बैण्ड–2 में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक–2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक–2 में उल्लिखित रु0 8000–13,500 के अपुनिरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैण्ड–3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 74 (1)/XXVII(7)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
6– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–74 / XXVII(7) / 2009 का संलग्नक–1

क0 सं0	अध्यापक	वर्तमान वेतनमान / ग्रेड	उच्चीकृत वेतनमान / ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	**बेसिक शिक्षा** **प्राथमिक शिक्षक**				
	(क) साधारण वेतनमान	4500–7000	ग्रेड–III 6500–10500	वेतन बैण्ड–2	4200
	(ख) चयन वेतनमान	5000–8000	ग्रेड–II 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–I 7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
2	**प्रधानाध्यापक** **प्राइमरी / अध्यापक उच्च प्राथमिक**				
	(क)साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–III 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–II 7500–12500	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–I 8000–13500	वेतन बैण्ड–2	5400
3	**प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक**				
	(क)साधारण वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–III 7500–12500	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	8000–13500	ग्रेड–I 10000–15200	वेतन बैण्ड–3	6600
4	**माध्यमिक शिक्षा** **1–एल0टी0शिक्षक**				
	(क)साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–III 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–II 7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–I 8000–13500	वेतन बैण्ड–2	5400

5	2—प्रवक्ता				
	(क)साधारण वेतनमान	6500—10500	ग्रेड—III 7500—12000	वेतन बैण्ड—2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500—12000	ग्रेड—II 8000—13500	वेतन बैण्ड—3	5400
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—I 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
6	**3—प्रधानाध्यापक हाई स्कूल**				
	(क)साधारण वेतनमान	7500—12000	ग्रेड—II 8000—13500	वेतन बैण्ड—3	5400
	(ख)चयन वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—II 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
7	**4—प्रधानाचार्य**	10000—15200	12000—16500	वेतन बैण्ड—3	7600

शासनादेश संख्या- 74 /XXVII(7)/2009 का संलग्नक-2

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	14,880	5,400	20,280
8,275	15,400	5,400	20,800
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	*25,630*	*5,400*	*31,030*
14,050	*26,140*	*5,400*	*31,540*
14,325	*26,650*	*5,400*	*32,050*

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 77 /XXVII (7)/2009
देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड सचिवालय तथा इससे समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष संवर्ग पदों के वेतनमान का उच्चीकरण।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008–2009) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय तथा इससे समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष संवर्गों के पदों के अपुनिरीक्षित वेतनमान रु0 6500–10,500 को उच्चीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निम्नवत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पद	6500–10,500 8000–13,500 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)	7500–12000 8000–13,500 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)	वेतन बैण्ड–2 वेतन बैण्ड–3	4800 5400 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)

2– उक्त संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिया जाएगा। स्पष्टतः वास्तविक लाभ की तिथि 1–4–2009 से पूर्व का ऐरियर देय नहीं होगा।

3– संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुबन्ध होंगी:–

(1) भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा NIC के सहयोग से केन्द्रीय सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया है। इसी प्रकार से राज्य सचिवालय का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

(2) सचिवालय कर्मियों हेतु Finance For Non Finance, Quality Of Work In Government, Value For Money, Principles Of Responsive Administration आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाये जाने चाहिए। अपने विभाग से सम्बन्धित नियमों/कानूनों के अतिरिक्त प्रदेश एवं देश स्तर के आर्थिक सामाजिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य की जानकारी दी जानी चाहिए।

(3) अनुभाग अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं अतः उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में भी वृद्धि अपेक्षित है। अनुस्मारकों, लम्बित पत्रावलियों एवं संदर्भो का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाना चाहिए। इनकी प्रस्तावों के विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से समुचित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

(4) अनुभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले शासनादेश एवं नियम कम्प्यूटर पर रखे जाने चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार पत्रावली पर सम्बन्धित उद्धरण अंकित किया जा सके।

(5) नैत्यक (Routine) किस्म के कार्य अनुभाग अधिकारी के स्तर पर ही निबटाये जाने चाहिए।

(6) अनुभागों का Reference Register कम्प्यूटर पर ही रखा जाना चाहिए तथा आर.सी. से सम्बन्धित समस्त कार्य कम्प्यूटर पर किया जाना चाहिए।

(7) अनुभाग अधिकारी द्वारा अनुभाग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए एवं प्रत्येक छमाह में अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन कर आख्या अपर सचिव/सचिव को प्रस्तुत की जाएगी।

(8) अपर सचिव/सचिव द्वारा प्रत्येक छमाही में अनुभागों का निरीक्षण कर अनुभाग अधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन किया जाए।

(9) निजी सचिवों को कम्प्यूटर पर कार्य करने में पूर्णरूपेण दक्ष होना चाहिए। इन्हें Email, Internet आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

(10) निजी सचिवों को Protocol, Courtsy आदि के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अधिकारी की अनुपस्थिति में विभागों/अनुभागों से सम्बन्ध करने की दक्षता होनी चाहिए।

(11)निजी सचिवों को आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अपने स्तर पर विश्लेषण कर अधिकारी को प्रस्तुत करने के संबंध में जानकारी आवश्य होगी।

(12)उच्चतर वेतनमान दिए जाते समय उपरोक्त बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। केन्द्र से समतुल्यता केवल वेतन की ही नहीं वरन् उत्तरदायित्व, Performance, Achievement व Output की भी होनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु यथा आवश्यक नियमों में संशोधन कर लिये जाएंगे।

4-- उक्त संवर्ग के पूर्व पृष्ठ की तालिका कालम–4 के अनुसार संशोधित किये जा रहे वेतनमान एवं फंक्शनल वेतनमान के संशोधन के फलस्वरूप सम्बन्धित विभागों के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

1-- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन,

संख्या– 77 /XXVII (7)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– कार्मिक, न्याय, राजस्व, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)–7
संख्याः / /xxvii(7)/2009
देहरादूनःदिनांकः २५मार्च,2009

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर,2007 के द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को भी उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नही है, अनुमन्य किया गया है। कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 13 नवम्बर,2007 के अनुसार प्रतिपूर्ति/मानदेय के बिल कोषागार को प्रस्तुत किये जाने पर कोषागार द्वारा आपत्ति लगाते हुए सम्बन्धित बिल वापस कर दिये गये हैं कि वेतन बैण्ड में देय मूल वेतन ही देय होगा उस पर देय ग्रेड वेतन को मूल वेतन में नहीं लिया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा वेतन समिति उत्तराखण्ड के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 में यह उल्लिखित किया गया है कि संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" का तात्पर्य "उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा,परन्तु इसमें विशेष वेतन,वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नही है।" प्रदेश के वाहन चालकों को 1 माह का वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की व्यवस्था पूर्व से निर्गत शासनादेशों में है। अतः वाहन चालकों को मानदेय के भुगतान हेतु मूल वेतन का आशय उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 के अनुसार वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग से है। उक्त के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से वित्तीय वर्ष 2008–09 में लागू किये गये है,वित्तीय वर्ष 2008–09 के उक्त वित्तीय वर्ष का मानदेय अभी नहीं दिया गया है, विगत वर्षों का मानदेय पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। अतः पूर्व वर्षों के लिये 01–वेतन की परिभाषा पूर्ववत रहेगी जिसमें वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन के योग के अनुसार मानदेय दिया गया है, और उक्तवत व्यवस्था वर्ष 2008–09 एवं अग्रेतर जब तक यह व्यवस्था है तब तक ही लागू रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के फलस्वरूप वाहन चालकों को मानदेय के विषय में पूर्व में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 93(1)xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उप सचिव।

संख्याः 169/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कृषि,उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः19 जून,2009

विषयः–वेतन समिति(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य के विश्व विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे आदि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुरूप राज्य के विश्व विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–3 में इंगित वेतन बैण्ड/वेतनमान तथा उसके सादृष्य(करेस्पान्डेन्ट) कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैण्ड/वेतनमान तथा ग्रेड– वेतन दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2.संशोधित वेतन ढॉचें में दिनांक 1–4–2009 से वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमैन्ट तालिका के अनुसार तथा शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 में निर्गत स्पष्टीकरण की व्यवस्थानुसार किया जायगा।

3.दिनांक 1–4–2009 से उक्तानुसार वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त तिथि को देय मंहगाई भत्ते की दर भी पुनरीक्षित आधार पर देय होगी अर्थात दिनांक 1–4–2009 को जिस दर पर राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दर अनुमन्य है वही शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा।यदि विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भत्ते की अनुमन्यता राज्य के कर्मचारियों के समान पूर्व से रही है तब उन्हें राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य भत्तों के समान भत्ते दिनांकः1–4–2009 से किये जाएगें।

4.वेतनमानों की पुनरीक्षण की तिथि से ही दिनांक 1 अक्टूबर,2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कार्मिकों का राज्य सरकार एवं कार्मिकों का अंशदान भी दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर काटा जाएगा।

5.उक्त विश्वविद्यालयों में दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्ति सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन का निर्धारण राज्य सरकार के सादृष्य कर्मचारियों के लिए निर्गत शासनादेश सख्या 41/xxvii(7)सी0भर्ती/2009 दिनांकः13 फरवरी,2009 में उल्लिखित वेतन बैण्डों में ग्रेड–पे जोड़ते हुए विश्वविद्यालय में उपलब्ध वेतनमानों में किया जाएगा।

6.विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था दिनांक 31–3–2009 को समाप्त हो जाएगी तथा इसके स्थान पर इन कर्मियों के लिए शासनादेश संख्याः75/xxvii(7) ए0सी0पी/2009 दिनांक 28 फरवरी,2009 द्वारा लागू सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन/ए0सी0पी0 येजना दिनांक 1–4–2009 से यथावत लागू होगी।

7.दिनांक1–4–2009 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण, एवं दरों की अनुमन्यता वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः421/xxvii(7)———/2009 दिनांकः27 अक्टूबर, 2008. के अनुसार होगी ।

संलग्नः–

1–पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान ।
2–वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका
3–शासनादेश दिनांक 13–2–2009।
4–शासनादेश दिनांक 27–10–2008।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 169 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. स्थानीय आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार,समस्त विश्व विद्यालय।
7. वित्त नियंत्रक, समस्त विश्व विद्यालय।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून,उद्यमसिंह नगर एवं हरिद्वार।
9. कृषि, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा,अनुभाग ।
10. निदेशक, एन0 आ ई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-/69/XXVII(7)/2006 का संलग्नक-1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01-01-2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01-01-2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
15	8000-275-13500	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
16	8550-275-14600	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
17	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
18	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
20	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
21	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
22	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
23	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

शासनादेश संख्या: 169 -XXVii(7) / 2008 का संलग्नक--2

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	***6,070***	***1,300***	***7,370***
3,320	***6,180***	***1,300***	***7,480***
3,380	***6,290***	***1,300***	***7,590***

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-15 Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	7,570	1,650	9,220
4,140	7,700	1,650	9,350
4,210	7,840	1,650	9,490

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	*8,330*	*1,800*	*10,130*
4,550	*8,470*	*1,800*	*10,270*
4,625	*8,610*	*1,800*	*10,410*

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	***8,690***	***1,900***	***10,590***
4,750	***8,840***	***1,900***	***10,740***
4,830	***8,990***	***1,900***	***10,890***

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	***9,280***	***2,000***	***11,280***
5,070	***9,430***	***2,000***	***11,430***
5,155	***9,590***	***2,000***	***11,590***

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	***11,350***	***2,400***	***13,750***
6,200	***11,540***	***2,400***	***13,940***
6,300	***11,720***	***2,400***	***14,120***

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	***13,260***	***2,800***	***16,060***
7,250	***13,490***	***2,800***	***16,290***
7,375	*13,720*	*2,800*	*16,520*

Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	*15,160*	*4,200*	*19,360*
8,300	*15,440*	*4,200*	*19,640*
8,450	*15,720*	*4,200*	*19,920*

Pre-revised scale
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	*17,070*	*4,200*	*21,270*
9,350	*17,400*	*4,200*	*21,600*
9,525	*17,720*	*4,200*	*21,920*

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	***19,910***	***4,200***	***24,110***
10,900	***20,280***	***4,200***	***24,480***
11,100	***20,650***	***4,200***	***24,850***

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,660	5,400	32,050

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	*30,090*	*6,600*	*36,690*
16,500	*30,690*	*6,600*	*37,290*
16,825	*31,300*	*6,600*	*37,900*

Pre-revised scale
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Pre-revised scale
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	43,390	8,700	52,090
19,100	44,700	8,700	53,400
19,500	44,700	8,700	53,400

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	53,410	10,000	63,410
23,400	55,020	10,000	65,020
23,900	56,680	10,000	66,680

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale /
Rs.26000 (fixed)

Revised Pay Scale
Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

संख्या– 256/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव
कृषि, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून दिनांक 26 अगस्त, 2009

विषयः–वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि वेतन समिति(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु–7 संख्याः 169/xxvii(7)/2009 दिनांक 19 जून, 2009 के द्वारा दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित किये गये थे। विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के द्वारा राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की मांग किये जाने पर कतिपय शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 1 अप्रैल 2009 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2006 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. विश्वविद्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.03.09 तक के एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.03.09 तक के एरियर का भुगतान 3 वर्षों में इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि समस्त एरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।
3. पूर्ववर्ती राज्य में विश्वविद्यालयों के अनुदान को वर्ष 1997 के स्तर पर फ्रीज किया गया था लेकिन नये राज्य के गठन के बाद विश्वविद्यालयों के अनुदान में वृद्धि करके ही प्रत्येक वर्ष बजट व्यवस्था करायी जाती रही है। राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति तथा कर्मचारी संगठनों की मांगों के दृष्टिगत दिनांक 01.01.06 से वेतनमान का पुनरीक्षण किये जाने के दृष्टिगत विष्वविद्यालयों को प्राप्त होने वाले शासकीय अनुदान को वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्तर पर फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय

स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों में वृद्धि कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होकर वास्तविक रूप से स्वायत्तशासी स्वरूप में स्थापित हो सकें।

4. शासनादेश संख्याः 169/xxvii(7)/2009 दिनांक 19 जून, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 256/(1)/xxvii(7)/2009, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय।
5. वित्त नियंत्रक, समस्त विश्वविद्यालय।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून, उद्यमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं हरिद्वार।
7. सचिवालय के कृषि, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अनुभाग।
8. निदेशक, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

संख्या: 271/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि,उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:07 सितम्बर,2009

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त,2009 के प्रस्तर–2 का स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि शासनादेश संख्या:256/xxvii(7)/2009 दिनांक: 26 अगस्त,2009 के प्रस्तर–2 में दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31–3–2009 तक के एरियर का भुगतान तीन वर्षों में समानुपातिक आधार पर किये जाने की व्यवस्था है लेकिन इसमें यह उल्लिखित नहीं है कि उक्त एरियर नकद भुगतान किया जाएगा या इसे जी0पी0एफ0 में डाला जाएगा।

2– अतः उक्त एरियर समानुपातिक आधार पर कमंश 40,30 एवं 30 प्रतिशत के आधार पर जो कार्मिक अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं उन कार्मिकों के अंशदान की राशि काटते हुए उनके अंशदान खाते में तथा शेष कार्मिकों जो सा0भ0नि0 खाते के सदस्य हैं उनकी उक्त एरियर की धनराशि सा0भ0नि0 खाते में जमा किया जाएगा तथा उक्त एरियर की धनराशि आगामी दो वर्षों तक नही निकाली जाएगी।

3– शासनादेश संख्या:256/xxvii(7)/2009 दिनांक 26 अगस्त,2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या:261/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनाँक:27 अगस्त,2009

विषय:– वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के द्वारा अपने तृतीय प्रतिवेदन में प्रदेश के स्वायत्तशासी संगठन जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित हैं के वेतनमान पुनरीक्षण की कार्यवाही।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के तृतीय प्रतिवेदन में प्रदेश के स्वायत्तशासी संगठन जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित हैं के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुति की है। उक्त संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग द्वारा स्थापित मानकों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं:–

(क)प्रकियात्मक व्यवस्था:–

ऐसे प्रतिष्ठान जो व्यवसायिक कार्य नहीं कर रहे हैं तथा पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उनके लेखे पूर्ण होने पर एवं अतिरिक्त बजट स्वीकृत होने पर ऐसे राज्य सरकार की संस्थाओं के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतनमान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं:–

(ख)सभी शर्तें पूर्ण होने पर कियान्वयन विधि:–

(1) दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.07.09 तक के ऐरियर का भुगतान इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि समस्त ऐरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर कम से कम 3 वर्षों में विभाजित किया जाएगा।

(2) दिनांक 01.08.09 से उक्त पुनरीक्षित वेतन का नगद भुगतान किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त के कम में संबंधित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें । जहाँ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो ऐसे प्रकरण में सरकारी सेवको हेतु निर्गत वेतन निर्धारण की फिटमेन्ट टेबिल एवं प्रकिया ही लागू की जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 **देहरादूनःदिनॉकः27 अगस्त,2009**

विषयः– राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008), की संस्तुतियों के कम में अग्रेत्तर कार्यवाही ।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के तृतीय प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक निगमों,उपकमों प्राधिकरणों तथा अन्य स्वायतशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुति की है (संलग्नक–1) उक्त संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग द्वारा स्थापित मानकों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं:–

(क)प्रकियात्मक व्यवस्थाः–

ऐसे प्रतिष्ठान जो गत तीन वर्षो में लाभ की स्थिति में थे एवं जिनकी आगामी तीन वर्षो में भी लाभ की स्थिति में रहने की संभावना दृष्टिगोचर होती है, उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार किया जा सकता है। ऐसे सार्वजनिक उद्यम जो वर्तमान में इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते उनके कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार तभी किया जाना चाहिये जब वे तीन वर्षों तक निरन्तर लाभ की स्थिति में आ जायें एवं आगामी तीन वर्षों में भी लाभ की स्थिति में बने रहने की संभावना हो तथा उनके लेखे पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति के उक्त सिद्धान्त के कम में राज्य के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों तथा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने का संबंधित बोर्ड द्वारा प्रथमतः निर्णय लिया जाय।

(ख)सभी शर्तें पूर्ण होने पर कियान्वयन विधिः–

(1) जो निगम, उपक्रम एवं प्राधिकरण पुनरीक्षित वेतन भुगतान करने की स्थिति में हैं उनमें दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.07.09 तक के ऐरियर का भुगतान इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि समस्त ऐरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर कम से कम तीन वर्ष में विभाजित किया जाएगा।

(2) वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर ऐरियर के भुगतान हेतु प्रथमतः वित्तीय प्रबन्ध को सुदृढ़ करते हुए न्यूनतम 3 वर्ष से अधिक समय में भुगतान किये जाने की कार्य योजना बनायी जाएगी।

(3) दिनांक 01.08.09 से उक्त पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किया जाएगा। इस हेतु अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सम्बन्धित उपक्रम/निगम/ प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा, तथा इसके लिए किसी भी स्वरूप में राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

कृपया उपरोक्त के कम में संबंधित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें । जहॉ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो ऐसे प्रकरण में सरकारी सेवकों हेतु निर्गत वेतन निर्धारण की फिटमेन्ट टेबिल एवं प्रकिया ही लागू की जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

निगमों/उपक्रमों के कर्मियों हेतु छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ

उत्तराखण्ड शासन के संकल्प संख्या–262/XXVII(7)/2008, दिनांक 25 अगस्त, 2008 के प्रस्तर 1 (घ) द्वारा समिति से सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अपेक्षित हैं। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है कि इस सम्बन्ध में संस्तुतियॉ करते समय समिति इन प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति भी ध्यान में रखेगी। निगम उपकम तथा स्वायत्तशासी संस्थायें, सरकार से भिन्न विधिक स्वरूप रखती हैं तथा कम्पनी अधिनियम या सोसायटी अधिनियम या विशिष्ट अधिनियम से विनियमित होती हैं। इनके कार्यकलाप, दायित्व आदि संबंधित अधिनियम या आर्टिकल आफ एसोसियेशन/मेमोरण्डम में प्रतिपादित है। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति भिन्न–भिन्न है। उपवाद के रूप में छोड़कर लगभग सभी के वार्षिक लेखे नियमानुसार अध्यावधिक (Up-to-date) नहीं रखे गये है तथा इन संस्थाओं में प्रोफेशनलिज्म का अभाव लगता है। इस विषय पर समिति ने गहन विचार विमर्ष किया। समिति यह सिद्धान्त प्रतिपादित करती है "ऐसे प्रतिष्ठान जो गत तीन वर्षों में लाभ की स्थिति में थे एवं जिनकी आगामी तीन वर्षों में भी लाभ की स्थिति में रहने की संभावना दृष्टिगोचर होती है, उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार किया जा सकता है। अन्य प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते उनके कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार तभी किया जाना चाहिए जब वे तीन वर्षों तक निरन्तर लाभ की स्थिति में आ जायें एवं आगामी तीन वर्षों में भी लाभ की स्थिति में बने रहने की संभावना हो। कुछ प्रतिष्ठान व्यवसायिक कार्य नही कर रहे हैं तथा पूर्णरूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उनके लिए लेखे पूर्ण होने पर एवं अतिरिक्त बजट स्वीकृत होने पर वेतन पुनरीक्षण हो।"

लाभ की स्थिति कम्पनी अधिनियम में स्पष्ट है किन्तु समिति के मत में विशिष्ट अधिनियमों में गठित निगम/संस्थाओं के लिए लाभ से तात्पर्य है कि–

(क) समस्त देनदारियां चुकता करने के बाद अर्थात ब्याज (Interest), मूल्य (Depreciation), करों (Taxes) के समायोजन के उपरान्त शुद्ध लाभ हो एवं वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढा हुआ व्यय भार इस लाभ से वहन किया जाना सम्भव हो।

(ख) लाभ, सरकार द्वारा दी गयी किसी Direct तथा Indirect Subsidy, Price & Purchase Preference, Monopoly को Discount करते हुए होना चाहिए अर्थात Super Normal Profit अर्थात Artificial Profit प्रदर्शित नही किया गया हो।

निबन्धन अधिनियम में गठित संस्थाओं के लिए लाभ का तात्पर्य सरप्लस धनराशि से होगा तथा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढा हुआ व्यय भार इस सरप्लस से वहन किया जाना सम्भव हो।

समिति के संज्ञान में आया है कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतिया विभिन्न संस्थाओं ने अलग–अलग तिथि से स्वीकृत व लागू की गयी थी। पूर्व प्रस्तर में प्रतिपादित सिद्धान्त, संस्था के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारित करता है किन्तु लागू करने की तिथि तथा अवशेष के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व संसाधन, केश फ्लो, कार्यक्रमों के अनुपात में प्रशासनिक व कार्यालय व्यय की सीमा आदि पर भी विचार किया जाना होगा। अतः जिन संस्थाओं के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण किये जाते हैं उनमें लागू करने की तिथि तथा अवशेष भुगतान की प्रक्रिया संस्था के बोर्ड की संस्तुति पर प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित की जानी चाहिए।

वित्तीय स्थिति के ऑकलन हेतु सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गयी थी तथा उनके विगत वर्षों के लेखों यथा तुलन पत्र/आर्थिक चिठ्ठे (Balance Sheet), लाभ–हानि विवरण (Profit & Loss Account) आदि का अध्ययन किया गया एवं आगामी वर्षों हेतु प्रस्तुत आकलनों (Projections) की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों की कार्य प्रणाली को भी समझा गया। समिति द्वारा इस पर यथास्थान टिप्पणी दी जा रही है।

तुलन पत्र (Balance Sheet) किसी भी प्रतिष्ठान की वित्तीय/आर्थिक स्थिति का आईना है। इससे न केवल प्रतिष्ठान के कार्य कलापों की जानकारी प्राप्त होती है वरन् प्रबन्धन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता भी मिलती है। इसके अतिरिक्त तुलन पत्र अद्यतन रखना प्रतिष्ठानों का वैधानिक दायित्व भी है। समिति ने पाया कि बहुत से प्रतिष्ठानों के तुलन पत्र अध्यावधिक नहीं हैं। कुछ प्रतिष्ठानों में तो गत आठ–नौ वर्षों से बेलेन्स शीट बनी ही नहीं है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर की देयता चुकाने के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से बैलेन्स शीट तैयार कराई गई है किन्तु ऐसी बैलेन्स शीट को संबंधित प्रतिष्ठान पर लागू नियम/अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम स्तर से स्वीकृत/अंगीकृत नहीं कराया गया है।

ऐसे प्रतिष्ठान जो कम्पनी एक्ट दायरे में आते हैं, उनकी बैलेन्स शीट बोर्ड आफ मैनेजमन्ट से पारित होकर वार्षिक आम सभा (Annual General Meeting) में स्वीकृत होने के उपरान्त ही अन्तिम मानी जा सकती है। जो प्रतिष्ठान विशिष्ट नियमों/अधिनियमों के अधीन गठित हैं उनकी बैलेन्स शीट यथास्थिति महालेखाकार अथवा स्थानीय निधि लेखा से सम्प्रेक्षण के बाद विधान सभा में प्रस्तुत होने के उपरान्त ही अन्तिम मानी जानी चाहिए।

समिति द्वारा आगे के पृष्ठों में अलग–अलग प्रतिष्ठान की समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं।

संख्या:262 / xxvii(7) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–सचिव,
शहरी विकास,
उत्तराखण्ड शासन ।

2–सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3–सचिव,
पेयजल,उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:27अगस्त,2009

विषयः– राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही ।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में जिला पंचायतों,स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों संस्थाओं के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुति की है(संलग्नक–1) उक्त संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग द्वारा स्थापित मानकों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही कर सकते हैः–

(क)प्रकियात्मक व्यवस्थाः–

1. राज्य वेतन समिति के द्वारा यह देखा गया कि आदर्श स्थिति में नगर निगम एवं जिला पंचायतों का प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद का 20 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों का 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए, लेकिन उक्त मानदण्डों पर कोई भी संस्था खरी नहीं उतर रही है।
2. अतः इनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम इन संस्थाओं के बोर्डों के द्वारा वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, जिसमें वित्तीय भार वहन किये जाने के उपायों तथा प्रशासनिक व्यय को आय के 50 प्रतिशत से कम लाने के उपायों के संबंध में स्पष्ट कार्य योजना भी बनायी जाए।

2– राज्य के जिला पंचायतों एवं स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्हें पूर्व से राज्य सरकार के समान वेतनमान अनुमनय है वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या:395/xxvii(7) /2008 दिनांकः 17 अक्टूबर,2008 (प्रति संलग्न–2) के साथ संलग्न–1 फिटमैन्ट तालिका के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–3 में इंगित वेतन बैण्ड(पे बैंड)/वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य(करेस्पोन्डिंग) क्रमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन(ग्रेड पे) ग्रेड वेतन की निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(ख)सभी शर्तें पूर्ण होने पर कियान्वयन विधिः—

(1) स्थानीय निकाय/जिला पंचायत एवं जल संस्थान अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए दिनांक 01.01.06 से राज्य की वेतन समिति की संस्तुति के क्रम में वेतनमान संशोधन कर सकते हैं।

(2) एकाएक इनकी वित्तीय स्थिति खराब न हो जाय इसलिए दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.07.09 तक के वेतनमान पुनरीक्षण के ऐरियर का भुगतान 3 वर्षों में इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि समस्त ऐरियर की धनराशि समानुपातिक आधार पर भुगतान कर दी जाएगी।

(3) वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर ऐरियर के भुगतान हेतु न्यूनतम 3 वर्ष से अधिक समय में भुगतान किये जाने की कार्य योजना बनायी जाएगी।

(4) दिनांक 01.08.09 से उक्त पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किये जाने पर अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जाय।

(5) उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों तथा Devolution से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के क्रम में संबंधित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें । जहाँ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो ऐसे प्रकरण में सरकारी सेवकों हेतु निर्गत वेतन निर्धारण की फिटमेन्ट टेबिल एवं प्रकिया ही लागू की जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संलग्नः—यथोपरि।

संलग्नक - 1

जिला पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के कर्मियों के छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ

पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार 13 जिला पंचायतों की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति संलग्न तालिका-1 में प्रदर्शित है। इसके अनुसार पाँच जिला पंचायतों मे बचत है, एक में आय व्यय लगभग बराबर है तथा शेष सात में व्यय, आय से अधिक है। यदि पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किये जाते है तो इन 13 जिला पंचायतों में अवशेष के रूप में लगभग रू. 450 लाख का व्यय भार आयेगा तथा आगामी वर्षों में लगभग रू. 150 लाख का व्यय भार प्रति वर्ष बढ जायेगा।

प्रदेश में वर्तमान में एक नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषदें एवं 30 नगर पंचायतों सहित कुल 63 स्थानीय निकाय हैं। शहरी विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इन निकायों की वित्तीय स्थिति संलग्न तालिका-2 में प्रदर्शित है। वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढे हुए व्यय भार के सम्बन्ध में विभाग का मत है कि प्रदेश के 7 निकाय स्वयं के स्त्रोतों से, 42 निकाय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से, 8 निकाय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि व स्वयं के स्त्रोतों से व्यय भार वहन कर सकने में सक्षम हैं। 6 निकाय ऐसे बताये गये हैं जो राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि व स्वयं के स्त्रोतों को मिलाकर भी बढा हुआ व्यय भार वहन कर सकने में सक्षम नहीं हैं।

कदाचित "Government of the people, by the people, for the people" की अवधारणा को निचले स्तर तक प्रभावी रूप से पहुँचाने में स्थानीय निकायों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे आम जन को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई आदि की सुविधा उपलब्ध करायें। इन गुरूतर दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक है कि इन संस्थाओं की स्थिति मजबूत हो तभी लोकतन्त्र भी सही मायने में मजबूत होगा। संस्थाओं को अपने संसाधन बढाने के विशेष प्रयास करने होंगे एवं वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रभावी रूप से रखना होगा ताकि वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके एवं जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। वर्तमान में संस्थाओं का प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है एवं कुछ संस्थाओं के पास तो वेतन, भत्तों व पेंशन आदि के भुगतान के उपरान्त अन्य कार्यों हेतु धन ही नहीं बचता, यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है। परिसम्पतियों का रखरखाव, लिए गए ऋण पर ब्याज़, Capital Depreciation, Outsourcing Cost, वेतन-भत्ते आदि राजस्व लेखे के भाग हैं एवं इनमें से केवल एक मद वेतन भत्ते पर अत्यधिक व्यय उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग द्वारा निकायों को दिये जाने वाले डेव्यूलेशन (Devolution) का एक बड़ा हिस्सा मुख्य नागरिक सुविधाओं जैसे स्वच्छता (Sanitation), कचरा निस्तारण (Solid Waste Management), जल निकासी (Drainage) तथा स्थानीय सड़कों (Local Roads) पर व्यय होना चाहिए। हरिद्वार राज्य की एक प्रमुख नगर पालिका है। इस नगर पालिका की वित्तीय स्थिति शोचनीय है। हरिद्वार देश की एक प्रमुख तीर्थ नगरी हैं जहां सीजन में लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं तथा वर्षभर यात्रियों का आवागमन रहता है। यह साधनहीन नगरपालिका अपने नगर निवासियों तथा यात्रियों की जनसुविधाओं की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाती है। अतः नगर पालिका की विशेष आवश्यकता के लिए उन्हें आय के साधन बढाने के लिए प्रेरित करते हुए राज्य वित्त आयोग से अतिरिक्त डेव्यूलेशन (Devolution) देने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध मे भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

आदर्श स्थिति मे नगर निगम व जिला पंचायतों का प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद का 20 प्रतिशत व नगर पंचायतों का 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए। इन मापदण्डों पर कोई भी संस्था खरी नहीं उतर रही है। यहाँ तक कि यदि उपरोक्त मानदण्ड को क्रमशः 25, 30 व 35 प्रतिशत तक भी शिथिल कर दिया जाए तो भी आई संस्था कदाचित सफल नहीं हो पा रही है। स्पष्टतः यदि संस्थाएं अपने संसाधन बढाने में सक्षम नहीं होंगी तो वेतन पुनरीक्षण

की दशा में राज्य वित्त आयोग के माध्यम से धन की व्यवस्था की जानी होगी। [illegible] स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम इन संस्थाओं के बोर्डों द्वारा वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव [illegible] जिसमें वित्तीय व्यय भार वहन किए जाने के उपायों तथा प्रशासनिक व्यय को आय के [illegible] प्रतिशत से कम [illegible] सम्बन्ध में स्पष्ट कार्य योजना हो। इसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः समिति संस्तुति करती है कि ऐसी संस्थाएं जो वर्तमान में अतिरिक्त व्यय भार उठा सकती है उनके प्रकरण में केन्द्रीयत कर्मियों के अतिरिक्त अन्य के वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.04.2009 से किया जा सकता है एवं पूर्व तिथि से भुगतान के सम्बन्ध में आगामी राज्य वित्त आयोग द्वारा उनके संसाधनों व devolution की अनुमानित राशि के आधार पर बकाये के भुगतान के बारे में परीक्षण के बाद दिया जाना उपयुक्त होगा। जो संस्थाएं अभी व्यय भार उठाने में सक्षम नहीं हैं उनके मामले मे उनके स्वयं के स्त्रोतों में पर्याप्त बढोत्तरी के उपरान्त अथवा राज्य वित्त दायोग द्वारा व्यवस्था किए जाने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाना चाहिए। केन्द्रीयत कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है।

समिति यह भी सुझाव देना चाहती है कि–

(क) चुने हुए प्रतिनिधियों एव कर्मचारियो के Orientation व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी [illegible] अपने दायित्वों का निर्वहन और अच्छी तरह कर सकें।

(ख) अगले वित्त आयोग से आय के साधन बढ़ाने, व्यय कम करने, सुविधाओं के [illegible] Incentive/Disincentive के सम्बन्ध मे अनुरोध किया जाए।

(ग) अधिनियम के अनुसार संस्थाओं के लेखे पूर्ण कराए जाए।

(घ) Accrual Accounting के आधार पर लेखे रखे जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(च) द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के दृष्टिगत सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा [illegible] ठहरने वाले सभी यात्रियों/पर्यटकों से रू. 10 प्रति व्यक्ति की दर से यात्री/पर्यटक [illegible] चाहिए।

संलग्नक-2

संख्या– 395 / XXVII / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–262 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनॉक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनो के साथ संकल्प संख्या–394 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों जो दिनॉकः 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनॉकः 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम– 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड) / वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पोन्डिंग) क्रमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढॉचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

4. वेतन बैंड में 'वेतन'' का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंड में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति प देय धनराशि से है।

5. संशोधित वेतन ढॉचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिव वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियं को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7. संशोधित वेतन ढॉचे नें वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

<u>उदाहरण</u> –1

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–7–2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणो में जहॉ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनॉक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

11. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू मंहगाँई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगाँई भत्ता दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणाँक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड मे इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे जहाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनाँक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनॉक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे में चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनॉक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहॉ कोई सरकारी कर्मचारी दिनॉक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढॉचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

21. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढॉचे के लिए चयन का विकल्प नही दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तद्नुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानो में संशोधित दरों पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भॉति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होगें।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनॉक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढॉचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढॉचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेगें।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनॉक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनॉक 1–1–2006 से दिनॉक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे है, जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहें थे। चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहें हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनॉक 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतननान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक–

(1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
(2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
(3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 395(1) /XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
2– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
3– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

संख्या– 395(2) /XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय नोटर्स बिल्डिंग नाजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–385/XXVIII(7)/2008 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	समदृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	समदृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

शासनादेश संख्याः 395–XXVii(7) / 2008 का संलग्नक–2

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	*6,070*	*1,300*	*7,370*
3,320	*6,180*	*1,300*	*7,480*
3,380	*6,290*	*1,300*	*7,590*

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	*6,710*	*1,400*	*8,110*
3,670	*6,830*	*1,400*	*8,230*
3,735	*6,950*	*1,400*	*8,350*

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-13 Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	7,570	1,650	9,220
4,140	7,700	1,650	9,350
4,210	7,840	1,650	9,490

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	***8,330***	***1,800***	***10,130***
4,550	***8,470***	***1,800***	***10,270***
4,625	***8,610***	***1,800***	***10,410***

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	***8,690***	***1,900***	***10,590***
4,750	***8,840***	***1,900***	***10,740***
4,830	***8,990***	***1,900***	***10,890***

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	***9,280***	***2,000***	***11,280***
5,070	***9,430***	***2,000***	***11,430***
5,155	***9,590***	***2,000***	***11,590***

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	*11,350*	*2,400*	*13,750*
6,200	*11,540*	*2,400*	*13,940*
6,300	*11,720*	*2,400*	*14,120*

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	*13,260*	*2,800*	*16,060*
7,250	*13,490*	*2,800*	*16,290*
7,375	*13,720*	*2,800*	*16,520*

Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	*15,160*	*4,200*	*19,360*
8,300	*15,440*	*4,200*	*19,640*
8,450	*15,720*	*4,200*	*19,920*

Pre-revised scale
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	17,070	4,200	21,270
9,350	17,400	4,200	21,600
9,525	17,720	4,200	21,920

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	***19,910***	***4,200***	***24,110***
10,900	***20,280***	***4,200***	***24,480***
11,100	***20,650***	***4,200***	***24,850***

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	*21,810*	*4,600*	*26,410*
11,950	*22,230*	*4,600*	*26,830*
12,175	*22,650*	*4,600*	*27,250*

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,300	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	*22,790*	*4,800*	*27,590*
12,500	*23,250*	*4,800*	*28,050*
12,750	*23,720*	*4,800*	*28,520*

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	*28,880*	*6,600*	*35,480*
15,850	*29,490*	*6,600*	*36,090*
16,175	*30,090*	*6,600*	*36,690*

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	***30,090***	***6,600***	***36,690***
16,500	***30,690***	***6,600***	***37,290***
16,825	***31,300***	***6,600***	***37,900***

Pre-revised scale
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Pre-revised scale
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	*43,390*	*8,700*	*52,090*
19,100	*44,700*	*8,700*	*53,400*
19,500	*44,700*	*8,700*	*53,400*

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	*46,050*	*8,900*	*54,950*
20,900	*46,050*	*8,900*	*54,950*
21,350	*47,440*	*8,900*	*56,340*

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	53,410	10,000	63,410
23,400	55,020	10,000	65,020
23,900	56,680	10,000	66,680

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale	Revised Pay Scale
Rs.26000 (fixed)	Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

शासनादेश संख्या 395-xxvii(7) का संलग्नक–3

विकल्प फार्म

*(1) मैं———————————— दिनांक 1जनवरी,2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता/करती हूँ ।

*(1) मैं———————————— मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये गये वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख
मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख
———— रूपये हो जाये ।
मै. मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना
बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ ।

मौजूदा वेतनमान————————————

हस्ताक्षर ————

नाम————

पदनाम————

कार्यरत कार्यालय का नाम————

दिनांक:

स्टेशन:

*यदि लागू न, तो काट दिया जाय।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 वित्त/448–25–10–2008 200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या:37/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,विधान सभा सचिवालय,
राज्यपाल सचिवालय,न्याय,कार्मिक,राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:24 दिसम्बर,2009

विषयः–उत्तराखण्ड सचिवालय/सचिवालय में समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के विभिन्न पदों पर अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों की व्यवस्था के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के द्वारा छठे प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड सचिवालय/सचिवालय में समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के कर्मचारियों/ अधिकारियों के सभी संवर्गों के लिए विशेष वेतन एवं विशेष भत्ता जोड़कर ग्रेड–वेतन का 20 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता संशोधित दरों पर अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। (निर्णय की प्रति संलग्न हैं)

2– उक्त के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक आदेश वित्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जायेगें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

(VII) सचिवालय विशेष भत्ता–सचिवालय सेवा से इतर अन्य सेवा के अधिकारी

वित्त अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 268/XXVII(7)/2006, दिनांक 24 नवम्बर, 2006 द्वारा उत्तरांचल राज्य सचिवालय से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को यह भत्ता पूर्व से ही दिया जा रहा है। वर्तमान में उक्त भत्ते की दर अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव व अपर सचिव पदधारकों (राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न) को क्रमशः रु0 600/–, 800/–, 900/– व 1000/– प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किया गया है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अपर सचिव के पद पर अन्य राज्य सेवाओं के समकक्षीय अधिकारियों की तैनाती होने पर मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा रु0 22400/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

समिति संस्तुति करती है कि अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव व अपर सचिव पदधारकों (राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न) को ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता अनुमन्य किया जाना चाहिए किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वेतन बैण्ड में वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन का योग किसी भी दशा में रु0 67000/– से अधिक नहीं होना चाहिए।

संख्या396/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी।
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉक24 दिसम्बर,2009

विषयः–वेतन समिति (2008) के छठवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर सहकारी एवं पचायत लेखा परीक्षा विभाग प्रभाग में कार्यरत सहायक लेखा परीक्षा/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/ लेखा परीक्षक के प्रतिमाह अनुमन्य नियत प्रासांगिक व्यय की दरों में संशोधन के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के छठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में सरकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग प्रभाग में कार्यरत सहायक लेखा परीक्षा/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/ लेखा परीक्षक के प्रतिमाह प्रासांगिक व्यय रू0 75.00 संशोधित करते हुये रू0 200.00(रू0दौ सौ मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है।

2– कृपया उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 398 / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांकः 24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के सचिवालय प्रशासन, कोषागारों एवं अन्य विभागों में गठित लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419 / XXVII(3) / 05 दिनांकः 13 सितम्बर,2005 के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के छठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के सचिवालय प्रशासन, कोषागारों एवं अन्य विभागों में गठित लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के निम्नलिखित तालिका के स्तंभ–2 में उलिखित पदों के स्तम्भ–4 में उल्लिखित अपुनरीक्षित वेतनमान को संशोधित करते हुए स्तम्भ–5 के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं स्तम्भ–6 के ग्रेड–वेतन निम्नवत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	केन्द्र में पदनाम	राज्य में पदनाम	संशोधित वेतनमान (रू0 में)	सादृश्य वेतन	ग्रेड वेतन(रू0में)
1	2	3	4	5	6
2	सहायक लेखा / लेखा परीक्षा अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा सचिवालय हेतु मुख्य लेखाकार व मुख्य कोषाध्यक्ष	7450–11500	7500–12000	4800
3	लेखा परीक्षा / लेखाधिकारी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2	7500–12000	8000–13500	5400

2– उक्त संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिया जाएगा। स्पष्टतः वास्तविक लाभ की तिथि 1–4–2009 से पूर्व का एरियर देय नहीं होगा।

3– नियुक्ति अधिकारियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाऐगा कि संवर्ग के अधिकारी कम्प्यूटर पर लेखा संबंधी कार्य करने की विधा में प्रशिक्षित हो जायें।

4– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13सितम्बर,2005 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या398(1)/XXVII(7)/2009तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या 2-83/xxvii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:07जनवरी,2010

विषय:– वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में गठित उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को तब तक न भरा जाय जब तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त, प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव हो, द्वारा यह समीक्षा न कर ली जाय कि कौन से कार्य वाह्य स्रोतों(out sourcing) द्वारा कराये जा सकते हैं और किस विभाग या उसके निर्दिष्ट कार्यालय/कार्य के पदों पर नियमित नियुक्ति की जाय। जिन पदों की निरन्तरता का निर्णय लिया जाय तथा जहॉ पर पूर्व से पदों पर व्यक्ति कार्यरत है,ऐसे पदधारकों हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग की भांति staffing pattern निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतन संरचना			समूह 'घ' में सृजित कुल पदों का निर्धारित प्रतिशत
		वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300	35%
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650	30%
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800	25%
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900	10%

(3) कुछ अधिष्ठानों/विभागों,जहां समूह 'घ' के कम संख्या में पद उपलब्ध है, वहाँ पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए उचित होगा कि जिन विभागों में समूह 'घ' के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जायः–

क्र0 सं0	समूह 'घ' की पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1300	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1650	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200,1800	समूह 'घ' वेतन बैंड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200, 1900
1	1	1	–	–	–
2	2	1	1	–	–
3	3	1	1	1	–
4	4	1	1	1	1
5	5	2	1	1	1
6	6	2	2	1	1
7	7	2	2	2	1
8	8	3	2	2	1
9	9	3	3	2	1

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या :2-83(1)/XXVII(7)/2010 तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या–५५३ / XXVII(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः ०9 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रु0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रु0 5500–9000) जिनकी दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 में समान ग्रेड पे रु0 4200 हो गयी है, का आमेलन करते हुए आमेलित पद का पदनाम 'प्रशासनिक अधिकारी' तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 यथावत रहेगी।

2– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु0 6500–10500) की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रु0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रु0 6500–10500 को दिनांक 1–1–2006 से रु07450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 के स्थान पर रु0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– ५५३ (1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5–प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6–सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7–स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र माण्डेय)
अपर सचिव।

इस विसंगति को दूर करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान रू0 6500–10500 को वेतनमान रू0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड–पे 4600 अनुमन्य होगी तथा पदनाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यथावत् रहेगा।

3– राज्य सरकार द्वारा जारी ए0सी0पी0 के शासनादेश दिनांक 28–2–2009 को भारत सरकार द्वारा जारी एम0ए0सी0पी0एस0 दिनांक 19–5–2009 के आलोक में पुनः परीक्षण कर संशोधित आदेश निर्गत किया जाय।

इस संबंध में समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि भारत सरकार द्वारा निर्गत ए0सी0पी0एस0 के शासनादेश दिनांक 19–5–2009 के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है।

(शरद चन्द्र पाण्डे)	(शत्रुघ्न सिंह)	(आलोक कुमार जैन)	(एन0एस0 नपलच्याल)
सदस्य सचिव,	प्रमुख सचिव / सदस्य,	प्रमुख सचिव / सदस्य,	मुख्य सचिव / अध्यक्ष,
वेतन विसंगति समिति।	कार्मिक विभाग,	वित्त।	

वेतन समिति(2008)के कम में मुख्य सचिव समिति का प्रथम प्रतिवेदनः—

समिति द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग की वेतन विसंगति से संबंधित प्रकरणों के संबंध में निम्नवत् संस्तुति की है:—

1 मिनिस्टीरियल संवर्ग के वेतनमान रू0 4500—7000 को केन्द्रीय मिनिस्टीरियल कर्मियों के समान वेतनमान रू0 5000—8000 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन रू0 4200 दिया जाना।

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के 06 संवर्ग एवं भारत सरकार में विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के 04 संवर्ग विद्यमान थे। मुख्य सहायक के पद का वेतनमान रू0 4500—7000 भारत सरकार के सहायक के समान वेतनमान रू0 5000—8000 किये जाने के संबंध में अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार में दिनांक 1—1—86 से पूर्व वरिष्ठ लिपिक वेतनमान रू 430—685 एवं वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 470—735 में थे। वेतनमान पुनरीक्षित होने पर उक्त दोनो पदों का वेतनमान रू0 1200—2040 में पुनरीक्षित हो गया। चूँकि प्रोन्नति पद एवं फीडिंग पद के वेतनमान एक समान हो गये थे,अतः उ0प्र0 के वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग—1 के अर्द्ध0 शासकीय पत्र दिनांक 24—1—91 के कम में उक्त विसंगति को दूर कर वरिष्ठ सहायक के पूर्व वेतनमान रू0 470—735 को रू0 1200—2040 के स्थान पर रू0 1350—2200 का वेतनमान अनुमन्य किया गया ।

पंचम वेतनमान की संस्तुतियों के उपरान्त वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रू0 1350—2200) एवं मुख्य लिपिक (वेतनमान रू0 1400—2300) के पुनरीक्षित वेतनमान (रू04500—7000) एक समान हो गये। वरिष्ठ सहायक के पद से मुख्य लिपिक के पद पर पदोन्नति होती थी,अतः दोनो पदों के वेतनमान एक समान पुनरीक्षित होने के कारण पुनः विसंगति उत्पन्न हो गयी। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 3 जून,2006 द्वारा दिनांक 1—1—96 के पूर्व मुख्य लिपिक (परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक) के वेतनमान रू0 1400—2300 को प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—2 वेतनमान रू0 5000—8000 में उच्चीकृत करते हुए उक्त विसंगति को दूर किया गया।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 511 /xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 09 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप
स्पष्टीकरण

विषयः–लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 में मुख्य रूप से अधिकतम संहत वेतन के आगे वेतनमान न स्पष्ट होने के कारण संहत वेतन सीमा पर नये नियुक्त कार्मिक किस वेतनमान से अपना वेतन प्रारम्भ करेंगें यह स्पष्ट नहीं है और किस मूल वेतन पर उन्हे वार्षिक वेतन वृद्वि अनुमन्य होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। उक्त श्रेणी के कार्मिकों को नये वेतनमान में अन्य भत्ते अनुमन्य थे जबकि निर्गत शासनादेश में अन्य भत्ते का कोई उल्लेख न होने के कारण अन्य भत्ते सम्प्रति वेतनमान पुनरीक्षण होने पर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे है इसके अतिरिक्त पूर्व में संहत वेतन सीमा में मंहगाई भत्ता अनुमन्य था और निर्गत व्यवस्था में उक्त विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है ।

अतः उक्त के संबंध में कार्यप्रभारित कर्मचारी संघ द्वारा की गई कतिपय जिज्ञासाओं के कम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009, में निर्धारित संहत वेतन सीमा की तालिका में दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतन बैण्ड को खोलते हुए निर्गत तालिका को अतिक्रमित करते हुए तालिका संख्या–1 के आधार पर पुनरीक्षित करते हुए तथा तालिका संख्या–2 एवं तालिका संख्या–3 के आधार पर कमंशः मकान किराया भत्ता एवं पर्वतीय विकास भत्ता दिनांक 1–04–2009 से अनुमन्य किये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

तालिका–1

मौजूदा संशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)		
क्रमांक	वेतनमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1–1–2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा(रू0)	वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)
1	2	3	4	5	6
1	2550–3200	3200	–1 एस	4440–7440	7260
2	2610–3540	3540	–1 एस	4440–7440	7990
3	2750–4400	4400	–1 एस	4440–7440	9990
4	3050–4590	4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	10440
5	3200–4900	4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	11120
6	4000–6000	6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	13560
7	4500–7000	7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	15820
8	5000–8000	8000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	19080

तालिका—2
मकान किराया भत्ता

मौजूदा संशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)		
कंमाक	सदृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान	दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षत किये गये वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा(रू0)	**श्रेणी "बी—2"** देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	**श्रेणी "सी"** समस्त जनपदीय मुख्यालय, यथा हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर (रूद्रपुर,) अल्मोड़ा, पिथौरागढ, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा काशीपुर, हल्द्वानी तथा काठगोदाम, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, रूड़की, मसूरी, के नगरपालिका क्षेत्र (शहरी क्षेत्र)	**"अवर्गीकृत श्रेणी"** श्रेणी "बी—2" एवं श्रेणी "सी" के शहरों को छोड़कर अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र।
1	2	3	4	5	6
1	4440—7440	7260	975	650	520
2	4440—7440	7990	1050	525	560
3	4440—7440	9990	1238	825	660
4	5200—20200	10440	1350	900	720
5	5200—20200	11120	1425	950	760
6	5200—20200	13560	1500	1000	800
7	5200—20200	15820	1800	1200	960
8	5200—20200	19080	2100	1400	1120

तालिका—3

पर्वतीय विकास भत्ता एवं परिवार नियोजन भत्ता

उक्त संवर्ग में दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षत किये गये संहत वेतन सीमा में निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता समाप्त करने तथा उसके स्थान पर पर्वतीय विकास भत्ता संहत वेतन बैण्ड में निम्नवत् होगा:—

क्रमांक	सदृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान	दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षत किये गये वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा(रू0)	पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र (रू0 में)	परिवार नियोजन भत्ता (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	4440—7440	7260	150	130
2	4440—7440	7990	150	140
3	4440—7440	9990	180	180
4	5200—20200	10440	140	190
5	5200—20200	11120	200	200
6	5200—20200	13560	240	240
7	5200—20200	15820	280	280
8	5200—20200	19080	420	420

एक हजार मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता देय नहीं होगा यद्यपि उक्त ऊंचाई के मध्य पड़ने वाली घाटियों (भले इनकी ऊंचाई एक हजार मीटर से कम हो परन्तु इनका चिन्हिकरण हो गया हो) में पर्वतीय भत्ता अनुमन्य होगा।

परिवार नियोजन भत्ता यदि पूर्व से दिया जा रहा तो दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31–08–2008 तक प्राप्त हो रही धनराशि का दुगना तथा 1–09–2008 से उक्त तालिका–3 के कालम–5 के अनुसार अनुमन्य होगा।

3– संहत वेतन की सीमा पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2009 के अनुसार ही रहेगी और यदि संहत वेतन सीमा के बाहर मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता व अन्य भत्ते जो पूर्व में अनुमन्य थे , वह इंगित तिथि से उक्त तालिका 2 व 3 के अनुसार पुनरीक्षित दर से अनुमन्य होगें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 511 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य अनुभाग जहां कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 वित्त/53–17–5–2010–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।